RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-08, अंक - 19 (साप्ताहिक) | खवासा, गुरूवार 12 फरवरी 2026 | पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

सुविचार

हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो। और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो।

हरिवंशराय बच्चन

झाबुआ जिले में बड़े भ्रष्टाचार के मामले उजागर,

जांच के घेरे में आ सकते है बड़े अधिकारी

मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल को शिकायत

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

संजय भटेवरा

मध्यप्रदेश में आदिवासी जिले भ्रष्टाचार की बड़ी प्रयोगशाला बन चुके है। यहां अन्य जिलों के मुकाबले अधिक राशि का आबंटन ओर अतिरिक्त योजनाओं का लाभ सरकार द्वारा दिया जाता है जिनमें भ्रष्टचार के नए-नए आयाम गड़े जा रहे है। वही आदिवासी इलाके जहा पैसा एक्ट जैसे कानून लागू होने के बाद भी बड़े अधिकारी अपनी मनमानी करते हुए रिकॉड हेराफेरी कर रहै है। तथा नियम विरुद्ध काम कर अपना निजी फायदा कर बड़े भ्रष्टाचार ओर हेराफेरी को अंजाम देकर निकल जाते है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल और प्रदेश के दूसरे नंबर के सबसे गरीब व पश्चिम क्षेत्र में बसे झाबुआ जिले में तीन और बड़े घोटालों के मामले सामने आए है। जिसकी शिकायत को लेकर मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव अनुराग जैन को एक लिखित शिकायत मय प्रमाणित दस्तावेजों के साथ की गई है। हालांकि इन तीनों मामलों की शिकायत कलेक्टर झाबुआ को पहले हो चुकी थी और जांच करने के लिए कलेक्टर ने पहले ही आदेश दे दिए थे। लेकिन नीचे बैठे जिला पंचायत सीईओ झाबुआ जितेंद्र चौहान जिनको पंच मानदेय राशि की जांच करवाना थी जो भी नहीं करवाई गई। तथा अपर कलेक्टर झाबुआ, एसडीएम, तहसीलदार थांदला को थांदला महाविद्यालय से जुड़ी भूमि और ग्राम चैनपुरी में पट्टे वितरण में हुई धांधली की जांच करना थी जो नहीं की गई।

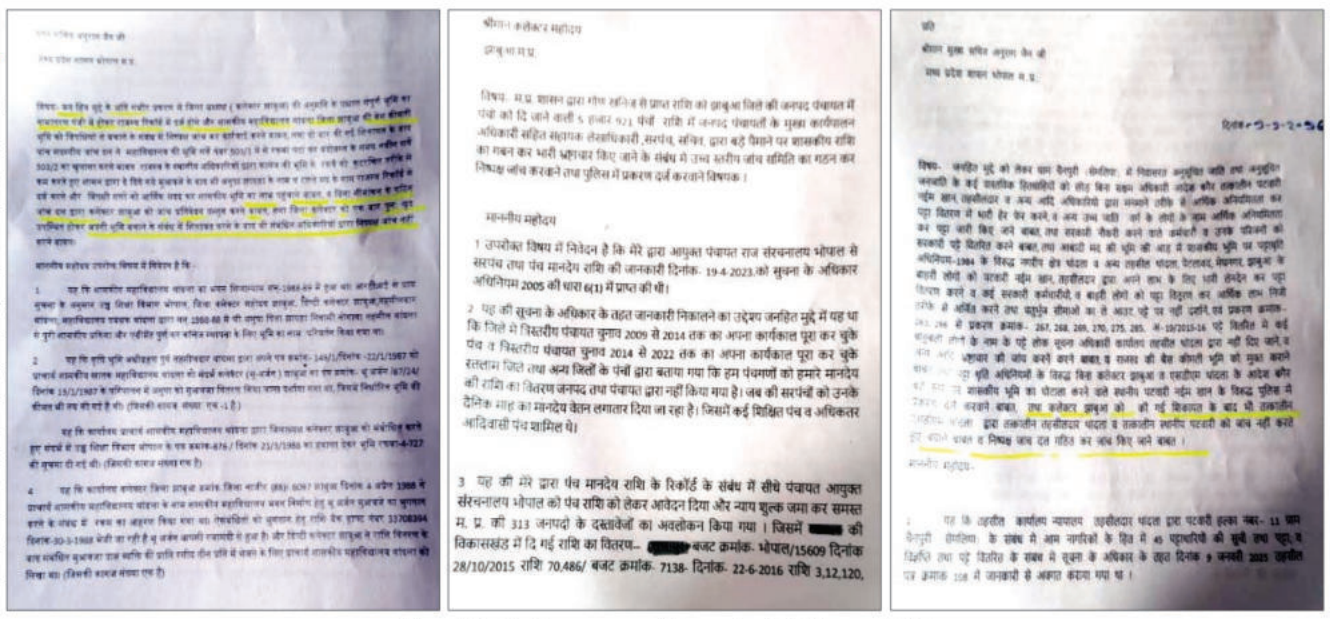

तीनो मामलो की प्रमाणित शिकायत पर अजब एमपी के गजब अधिकारी की कोई जाच व कार्रवाई नही।

मामला नंबर 1 - शा. महाविद्यालय थांदला...

शासकीय महाविद्यालय थांदला का भवन शिलान्यास सन्-1988-89 में हुआ था। आरटीआई से प्राप्त सुचना के अधिकार के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग भोपाल, जिला कलेक्टर झाबुआ, डिप्टी कलेक्टर झाबुआ,तहसीलदार थांदला, महाविद्यालय प्रबंधक थांदला ने सन् 1988-89 मे अनुप पिता झापड़ा निवासी नोगावा तहसील थांदला से जुड़ी सर्वे नम्बर 503 की भूमि पुरी शासकीय प्रकिया और एग्रीमेंट पुर्ण कर कॉलेज स्थापना के लिए भूमि का नाम परिवर्तन किया गया था।तथा कलेक्टर झाबुआ के आदेश के बाद धारा 110 में उक्त सर्वे की भूमि में से 4.727 एकड़ जमीन थांदला महाविद्यालय के नाम सर्वे नम्बर 503/1 का होकर हो गई थी। लेकिन सेटलमेंट वर्ष- 1992-93 के समय राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर उक्त सर्वे नम्बर 503/1 रकबा 4.727 एकड़ की भूमि में से रकबा 0.397 सर्वे नम्बर 503/2 कर भूमि का हेर-फेर कर दिया था और थांदला कॉलेज की भूमि कम हो गई थी। जबकि इस पूरे नामांतरण प्रकरण में खुद तात्कालिक कलेक्टर झाबुआ के ही आदेश हुए थे। वही वर्तमान में तात्कालिन खंड चिकित्सा अधिकारी अनिल राठौड़ थांदला का कॉलेज की भूमि पर कब्जा है।7 अप्रैल 2025 को कलेक्टर को शिकायत हुई थी लेकिन दूसरी बार इस फर्जीवाड़े की जांच नहीं की गई।

मामला नंबर 2 - चेनपुरी पट्टे वितरण...

देखा जाए तो भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टे जारी किए जाने के पूर्व अपर प्रमुख सचिव राजस्व मंत्रालय भोपाल ने एक आदेश जारी किया था, जिसके परिपालन में पट्टेदार व्यक्ति भूमि प्राप्त के संबंध मे ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत राजस्व की वेबसाइट पर सभी दस्तावेजों के साथ फार्म अपलोड करेंगे। तथा उसके उपरांत तहसीलदार के आदेश के बाद वास्तविक भूमिहीन हितग्राही के चयन को लेकर पटवारी हल्का उसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट जिसमें हितग्राही का आधार कार्ड, समग्र आईडी, फोटो, जाति सर्टिफिकेट, निवासी सर्टिफिकेट अन्य आदि रिकॉर्ड की जांच के बाद मूल रूप से आबादी क्षेत्र की भूमि के खसरा खाता, सर्वे नंबर सहित हितग्राही की सभी जानकारी तहसीलदार को प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद तहसीलदार, भूमिहीन परिवार को पट्टा जारी करने की अनुशंसा सक्षम अधिकारी को करेंगे। जिसके बाद राजस्व का सक्षम अधिकारी जिला कलेक्टर को पट्टा वितरण को लेकर अंतिम स्वरूप देने के लिए अनुशंसा करेंगे। लेकिन हल्का नंबर 11 के पटवारी नईम खान जो नगर परिषद थांदला में ही स्थानीय तौर पर निवास करते हैं तथा इनका ग्रह नगर भी थांदला में ही है। इनके द्वारा उच्च अधिकारियों को गुमराह कर अन्य तहसील के व्यक्ति जो झाबुआ तहसील के जुलवानिया, थांदला नगर से 15 से अधिक व्यक्ति, ग्राम बैड़ावा, भीमकुंड, मेघनगर के पिपलखुट्टा, खजुरी, मेघनगर के जामदा, सहित 45 से अधिक पट्टे अवैध रूप से वितरित कर दिये। जिसकी शिकायत कलेक्टर झाबुआ को 3 जुन 2025 को हुई थी। लेकिन एसडीएम व तहसीलदार थांदला ने जांच नहीं की।

मामला नंबर 3 - पंच मानदेय घोटाला...

जिले की 6 जनपद पंचायतो में कुल पंचों की संख्या 5,921 निर्वाचन आयोग व पंचायत संचनालय भोपाल के रिकॉर्ड अनुसार दर्ज है। जनपद पंचायत जनपद झाबुआ 1096, रामा 870, राणापुर 702, मेघनगर 818, थांदला 1037, पेटलावद 1298, जिनके नाम से कुल राशि 2 करोड़ 15 लाख 38 हजार 198 रुपए की राशि छ जनपद पंचायत के खातों में सीधे भोपाल से आबंटित की गई थी। लेकिन 28 अक्टूबर 2015 से लेकर 14 अक्टूबर 2022 तक पंच मानदेय की राशि उनके खातों में पहुंची ही नहीं है। जबकि डॉ राजेश राजोरा सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल व अपर सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश 18 अप्रैल 2013 व आदेश 25 जनवरी 2021 व आयुक्त पंचायत राज संचनालय द्वारा जारी किए गये थे। आवंटन राशि के आदेश में स्पष्ट निर्देश थे कि, पंच मानदेय की राशि वार्ड पंच के बैंक खातों में ट्रांसफर करें और जिस मद के लिए राशि जारी की गई है उसी मद में राशि खर्च करें, अन्य मद में नहीं। लेकिन कलेक्टर झाबुआ को 3 जुन 2025 को की गई शिकायत के बाद भी जिला पंचायत सीईओ ने जांच नहीं करवाई।

आरटीआई कार्यकर्ता श्रवण मालवीय ने तीनों मामलों में जनहित में शिकायत की है। श्रवण मालवीय ने बताया कि, उक्त सभी मामले भ्रष्टचार ओर शासकीय हेरा-फेरी के है जिसकी जांच के साथ-साथ इन मामलों में अपराध दर्ज होना थे लेकिन शिकायत के बाद अब तक जांच तक नहीं की गई।

बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर, राज्यों को 17.1 लाख करोड़ का हस्तांतरण

नई दिल्ली, एजेंसी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि इस वर्ष बजट का प्रमुख उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देना है। उन्होंने कहा कि परिवहन और आपूर्ति तंत्र को सुदृढ़ बनाकर देश में वस्तुओं के आवागमन को सुगम बनाया जाएगा। इसके लिए जलमार्गों सहित विभिन्न परिवहन साधनों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

वित्त मंत्री ने बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के साथ पारंपरिक उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लघु उद्योगों के लिए ऋण सुविधा बढ़ाई गई है ताकि उन्हें पूंजी की कमी का सामना न करना पड़े। स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। आयुष पद्धति को प्रोत्साहित करते हुए पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है, जिससे लगभग एक लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त डेढ़ लाख परिचारकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्यों को वित्तीय सहयोग के विषय में उन्होंने स्पष्ट किया कि 17.1 लाख करोड़ रुपये राज्यों को हस्तांतरित किए जाएंगे। उन्होंने विपक्ष के इस आरोप को निराधार बताया कि केंद्र सरकार राज्यों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं करा रही है। वित्त आयोग द्वारा संसाधनों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को उचित ठहराए जाने का भी उन्होंने उल्लेख किया। उपकर और अधिभार को लेकर उठे प्रश्नों पर उन्होंने कहा कि संविधान केंद्र को यह अधिकार देता है तथा इनसे प्राप्त राशि का उपयोग अस्पताल, विद्यालय और अन्य विकास कार्यों में किया जाता है।

कृषि क्षेत्र के संबंध में उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और उत्पादन क्षमता सुधारने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। बीज परीक्षण सुविधाओं के विस्तार और किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया है। उर्वरक और यूरिया के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की कमी का सामना न करना पड़े, हालांकि विपक्ष ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई।

महाराष्ट्र में बुलेट रेल परियोजना में विलंब के विषय में वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्व राज्य सरकार द्वारा भूमि मूल्यों में वृद्धि किए जाने से बाधाएं उत्पन्न हुईं। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को लेकर लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि दो उच्च गति रेल गलियारे उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रहे हैं और राज्य के रेल बजट में भी वृद्धि की गई है। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर-आसनसोल पूर्वी गलियारा तथा सिलीगुड़ी तक उच्च गति रेल परियोजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जूट और चमड़ा निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सुधारों की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है और विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पूंजी निवेश को प्राथमिकता दी जा रही है।

अमेरिका का रुख बदला: व्यापार समझौते में संशोधन

नई दिल्ली, एजेंसी।

भारत-अमेरिका के बीच हाल ही में हुए व्यापार समझौते को लेकर एक नया घटनाक्रम सामने आया है। समझौते पर सहमति बनने के बाद अमेरिका ने मंगलवार को एक तथ्य-पत्र जारी कर इसकी प्रमुख शर्तों की जानकारी दी थी। लेकिन अब एक दिन बाद ही व्हाइट हाउस ने उसमें कुछ बदलाव कर दिए हैं। संशोधित दस्तावेज में कई शब्दों और शर्तों में परिवर्तन किया गया है, जिनमें से कुछ भारत के पक्ष में माने जा रहे हैं।

सबसे अहम बदलाव उस प्रावधान में किया गया है, जिसमें पहले कहा गया था कि, भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर से अधिक के उत्पाद खरीदने के लिए ÷प्रतिबद्ध÷ है। अब इसे बदलकर ÷इरादा रखता है÷ कर दिया गया है। इस शब्द परिवर्तन को कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 'प्रतिबद्ध' की तुलना में 'इरादा' अपेक्षाकृत नरम अभिव्यक्ति है।

संशोधित दस्तावेज के अनुसार भारत अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं तथा खाद्य और कृषि उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला पर आयात शुल्क समाप्त या कम करेगा। इनमें सूखे आसवन अवशेष, लाल ज्वार, वृक्ष मेवे, ताजे एवं प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, मदिरा तथा अन्य उत्पाद शामिल हैं। हालांकि नई सूची में पहले उल्लिखित कुछ दालों का उल्लेख हटा दिया गया है। साथ ही उत्पाद श्रेणी से 'कृषि' शब्द भी हटा दिया गया है, जो पहले के तथ्य-पत्र में शामिल था।

इसके अतिरिक्त डिजिटल व्यापार से संबंधित प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है। पहले जारी दस्तावेज में कहा गया था कि भारत अपना डिजिटल सेवा कर समाप्त करेगा और डिजिटल व्यापार में भेदभावपूर्ण प्रक्रियाओं को खत्म करने के लिए द्विपक्षीय नियमों पर प्रतिबद्ध है। अब संशोधित संस्करण में डिजिटल सेवा कर हटाने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, बल्कि केवल यह कहा गया है कि भारत मजबूत द्विपक्षीय डिजिटल व्यापार नियमों पर बातचीत करने का वादा करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन संशोधनों से समझौते की भाषा में संतुलन लाने का प्रयास किया गया है। हालांकि दोनों देशों की ओर से इन परिवर्तनों पर आधिकारिक विस्तृत प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है। आने वाले दिनों में इस विषय पर और स्पष्टता आने की संभावना है।

शराब ठेकेदार खुले आम चला रहा आहता

विकास खंड के बड़े अधिकारी और आबकारी कंबल ओढ पी रहे है घी

माही की गूंज, पेटलावद।
राकेश गेहलोत

क्षेत्र का शराब ठेकेदार रोज पुलिस ओर प्रशासन को खुली चुनौती पेश करते नजर आता है और ठेकेदार की खुली चुनौती को जिस प्रकार से अनदेखा किया जाता है। उससे साफ है कि, न केवल आबकारी विभाग बल्कि पुलिस और विकास खंड के दूसरे बड़े अधिकारी भी ठेकदार के आगे नस्मस्तक हैं। जहा पूरे नगर में हर कोने में खुलेआम अवैध शराब बेरोक-टोक परोसी जा रही है। वही दूसरी और सरकार के नियमो की धज्जियां उड़ाते हुए शराब ठेकेदार शराबियों को खुलेआम आहता सुविधा के साथ सुविधा देकर दुकान के पास ही बिठा कर शराब परोस रहा है। शराब दुकान पर लगने वाली भीड़ केवल शराब खरीदने की ही नहीं बल्कि दुकान पर ही बैठ कर शराब पीने वालों की भी है।

दो दुनी चार दुकानों पर चल रहा है अवैध आहता

शराब ठेकेदार के पास वर्तमान में दो शराब की दुकान संचालित की जा रही है लेकिन इन दुकानो पर अब देशी व विदेशी दोनो शराब मिलती है एसे में कम्पोजिट शराब दुकान होकर इन दुकानो को दो दुनी चार शराब दुकान कह सकते है। जिसमें से एक कम्पोजिट शराब दुकान तहसील कार्यालय पेटलावद ओर आबकारी कार्यालय के पास है तो दूसरी सरकारी गाइड लाईन को ताक में रख कर स्टेट हाइवे थांदला बदनावर मार्ग पर सड़क के किनारे खोल रखी है। शराब ठेकेदार द्वारा नियम विरुद्ध शराब दुकान पर शराब खरीदने वालों को बैठा कर शराब पिलाई जा रही हैं। आबकारी कार्यालय से लगी शराब दुकान के पास शराबियों का हुजूम खुले आम देखा जा सकता है। यहां ठेकेदार सुरा प्रेमियों को शराब दुकान परिसर में बैठा कर खुले आम शराब परोस रहा है तो थांदला रोड पर ठेकदार एक कदम आगे निकलते हुए शराबियों के बैठेंगे के लिए चद्दर का शेड बना रखा है। आश्चर्य का विषय ये है कि, ये सब आम जनता ही नहीं कानून के जानकार जिम्मेदार अधिकारी भी खुलेआम चल रहे इन अवैध आहतों को देख कर निकल जाते है।

आबकारी से लगी दुकान, बड़े अधिकारियों का रोज का आना-जाना

शराब ठेकेदार की एक दुकान तो आबकारी विभाग के ठीक पीछे ही संचालित हैं। आबकारी विभाग जिसे अवैध शराब की बिक्री रोकने के साथ-साथ वैध लाइसेंसी ठेकेदार द्वारा किए जा रहे अवैध कारोबार को भी रोकना है। लेकिन शराब ठेकेदार के हाथों पूरी तरह बिका हुआ आबकारी विभाग अवैध शराब की बिक्री को रोकना तो ठीक उनके ही कार्यालय के पीछे शराब ठेकेदार के चल रहे अवैध आहते को तक नहीं रोक पा रहा है। उधर शराब दुकान के ठीक सामने राजस्व के कर्मचारियों के कार्यालय ओर कुछ ही दूरी पर तहसील न्यायालय कार्यालय मौजूद हैं, जहा प्रभारी तहसीलदार अनिल बघेल सहित बड़े अधिकारीयों की बैठक है। एसडीएम तनु श्री मीना का निवास स्थान भी इस क्षेत्र में होकर अनुभाग कार्यालय जाने का मार्ग भी यही है तथा जहा से रोज एसडीएम मीणा गुजर रही है। कुछ यही हालत पुलिस विभाग के भी है, शराब दुकान के पास से होकर एसडीओपी पुलिस अनुरूक्ति सबनानी रोज अपने वाहन में बैठ कर कार्यालय जाती है। बाबजूद किसी अधिकारी की नजर इस प्रकार से नियमो को तोड़ने वालों पर नहीं पड़ रही है। ऐसा लगता है आबकारी सहित दूसरे विभागों के अधिकारी भी कम्बल ओढ़ कर ठेकेदार द्वारा परोसे जा रहे घी पी रहे है। जिसके चलते किसी अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी एक बार भी नहीं निभाई।

आए दिन विवाद, नशेड़ी से परेशान आने-जाने वाले

शराब दुकान के आसपास नशे की हालत में नशेड़ी विवाद करते अक्सर देखे जा सकते है। अति व्यस्तम मार्ग होने के चलते यहां से बड़ी संख्या में राहगीर गुजरते हैं। साथ ही स्कूली बच्चे ओर स्कूली वाहनों की भी इस मार्ग पर भारी आवाजाही रहती है। कई बार इन नशेड़ियों की हरकतों के कारण दुर्घटना की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। जिम्मेदारों की अनदेखी का खामियाजा भी आम जनता को भुगता पड़ रहा है। वही स्कूली बच्चो की मानसिकता पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जिससे जवाबदार अधिकारियों का कोई लेना-देना नहीं है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर लोकसभा में तीखी बहस, राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली, एजेंसी।

लोकसभा में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बुधवार को तीखी बहस देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस समझौते से देश के आर्थिक और रणनीतिक हित प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब भारत यह निर्णय भी स्वयं नहीं ले सकेगा कि उसे किस देश से तेल खरीदना है।

राहुल गांधी ने कहा कि ऊर्जा और वित्तीय क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे समय में यदि किसी अन्य देश द्वारा यह तय किया जाए कि भारत किससे ऊर्जा संसाधन खरीदे, तो यह ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभाव डाल सकता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी विशेष देश से तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो इसका अर्थ है कि ऊर्जा क्षेत्र पर बाहरी दबाव बढ़ रहा है।

उन्होंने सीमा शुल्क दरों में बदलाव, व्यापार संतुलन और आयात-निर्यात के आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठाए। उनका दावा था कि इस समझौते के बाद अमेरिका से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, जबकि भारतीय उद्योगों और किसानों पर दबाव बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र, विशेषकर मक्का और सोयाबीन जैसी फसलों के उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।

राहुल गांधी ने डिजिटल व्यापार, आंकड़ा संरक्षण और स्थानीय भंडारण जैसे मुद्दों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश का डेटा एक महत्वपूर्ण संपदा है और इस पर नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक है। उनके अनुसार डिजिटल कर व्यवस्था, स्रोत कोड पर नियंत्रण और आंकड़ों के मुक्त प्रवाह जैसे विषयों पर सावधानीपूर्वक निर्णय लिया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते में भारत को समान स्तर पर बातचीत करनी चाहिए और ऊर्जा सुरक्षा, किसानों के हित तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता से समझौता नहीं होना चाहिए।

राहुल गांधी के वक्तव्य पर केंद्रीय मंत्री ने आपत्ति जताते हुए कहा कि बिना आधार के आरोप लगाना उचित नहीं है। सरकार की ओर से कहा गया कि व्यापार समझौता देश के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर किया गया है और इससे आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

लोकसभा में हुई इस बहस के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, कृषि और डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर आगे भी व्यापक चर्चा जारी रहेगी।

थाईलैंड में बाल केंद्र में भीषण गोलीकांड, 22 मासूमों सहित 34 की जान गई

बैंकॉक। दक्षिणी थाईलैंड में स्थित एक बाल देखभाल केंद्र में हुए भीषण गोलीकांड ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। इस घटना में 22 बच्चों समेत कुल 34 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वारदात को अंजाम देने वाला व्यक्ति पूर्व पुलिस अधिकारी बताया जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक हमलावर केंद्र में प्रवेश कर बच्चों और शिक्षकों को बंधक बनाकर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। घटना में बड़ी संख्या में छोटे बच्चों की जान जाने से पूरे देश में शोक और आक्रोश का माहौल है। प्रशासन द्वारा मृतकों और घायलों के संबंध में आधिकारिक विवरण जारी किया जा रहा है।

उधर दक्षिणी क्षेत्र के हाट याई में भी गोली चलने की एक अलग घटना सामने आई है। बताया गया है कि एक युवक ने विद्यालय परिसर में गोली चलाई, जिससे दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सोंगखला प्रांत प्रशासन के अनुसार विद्यालय में हथियारबंद व्यक्ति की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बलों ने क्षेत्र को घेर लिया और स्थिति को नियंत्रित किया। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है।

पुलिस दोनों घटनाओं की गहन जांच कर रही है। हमलावरों की पृष्ठभूमि, हथियार की उपलब्धता और संभावित कारणों की पड़ताल की जा रही है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हैं या नहीं।

इस घटना ने देश में विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न कर दी हैं। सरकार की ओर से विस्तृत बयान जारी किए जाने की संभावना है।

अध्यक्ष कक्ष विवाद पर बढ़ी राजनीतिक तकरार

नई दिल्ली, एजेंसी।

संसद के बजट सत्र के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी और तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को कांग्रेस सांसदों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कक्ष में पहुंचे और वहां अनुचित व्यवहार किया। उन्होंने यह बात सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कही।

रिजिजू ने आरोप लगाया कि लगभग 20 से 25 कांग्रेस सांसद अध्यक्ष कक्ष में पहुंचे। उनके अनुसार उस समय प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के व्यवहार से अध्यक्ष आहत हुए हैं। रिजिजू ने राहुल गांधी के उस कथित बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें सदन में बोलने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस पर रिजिजू ने कहा कि सदन की कार्यवाही नियमों और परंपराओं के अनुसार चलती है तथा किसी भी सदस्य को बोलने से पूर्व अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी अध्यक्ष की अनुमति से ही अपनी बात रखते हैं।

इधर, लोकसभा सचिवालय से जुड़े सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि अध्यक्ष के विरुद्ध विपक्ष द्वारा दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में कई तकनीकी त्रुटियां पाई गई हैं। सूत्रों के अनुसार नोटिस में तिथियों और प्रारूप से संबंधित कमियां दर्ज की गई हैं। नियमों के अनुसार ऐसे प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता था, किंतु बताया गया है कि अध्यक्ष ने संबंधित पक्ष को त्रुटियां सुधारने का अवसर देने के निर्देश दिए हैं।

संसद में जारी इस घटनाक्रम के बीच सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिससे बजट सत्र का माहौल और अधिक गरमा गया है।

सोनम वांगचुक की रिहाई संभव नहीं : केंद्र

नई दिल्ली।

केंद्र सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में स्पष्ट किया कि लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को रिहा करना संभव नहीं है। वांगचुक को पिछले वर्ष लेह में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था। उस घटना में चार लोगों की मृत्यु हुई थी तथा 150 से अधिक लोग घायल हुए थे।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ के समक्ष हुई। भारत के महाधिवक्ता तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि पूर्व में न्यायालय ने वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए चिकित्सकीय आधार पर रिहाई पर विचार करने को कहा था। इसी के संदर्भ में सरकार ने अपना पक्ष रखा है।

महाधिवक्ता ने कहा कि कारागार नियमावली के अनुसार वांगचुक की अब तक लगभग 24 बार चिकित्सकीय जांच की जा चुकी है और वर्तमान में उनकी स्थिति सामान्य है। उन्होंने बताया कि उन्हें पाचन संबंधी समस्या और संक्रमण की शिकायत थी, जिसका उपचार किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस प्रकार के मामलों में अपवाद बनाए जाने लगें तो इसके दूरगामी परिणाम ठीक नहीं होंगे। जिन आधारों पर निरोध आदेश पारित किया गया था, वे अभी भी प्रभावी हैं, इसलिए केवल स्वास्थ्य कारणों से रिहाई उचित नहीं होगी।

वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो ने अपने पति की हिरासत को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है, जिस पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई जारी है। केंद्र सरकार की ओर से अधिकारियों ने हिरासत के निर्णय का समर्थन करते हुए न्यायालय में अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। मामले में अगली सुनवाई की तिथि शीघ्र निर्धारित की जाएगी।

राशन दुकानों मशीनों के सर्वर जाम, परेशानी

माही की गूंज, रतलाम।

प्रदेश सहित जिले में भी सर्वर की परेशानी के चलते राशन के लिए पात्र हितग्राही परेशान हो रहे हैं। हितग्राहियों को राशन के लिए चौथे दिन भी भटकना पड़ा या फिर सुबह से शाम तक राशन दुकानों के चक्कर लगाने पड़े, फिर भी कई लोगों को राशन नहीं मिल पाया। शहर की कुछ दुकानों पर नोटिस चस्पा कर दिया कि सर्वर की परेशानी के कारण राशन वितरण नहीं किया जा रहा हैं।

मंगलवार शाम तक सर्वर के रूक-रूककर चलने की परेशानी के चलते जिले के 245801 हितग्राही परिवार में से अब तक 40309 कार्डधारियों को 16.31 प्रतिशत राशन वितरण हो पाया हैं। प्रदेश स्तर पर सर्वर में आई तकनीकी परेशानी के चलते पिछले चार दिन से हितग्राहियों को दुकान संचालक राशन वितरण करने में परेशानी आ रही हैं। शहर से लेकर गांव तक यही स्थिति हैं, सुबह से राशन के लिए महिला-पुरुष लाइन में लगे या फिर यहां वहां बैठे नजर आ रहे हैं।

जिले में 16.31 प्रतिशत राशन वितरण

जिले के 2 लाख 45 हजार 801 हितग्राही परिवार में से अब तक 40309 कार्डधारियों को मंगलवार शाम 7 बजे तक 16.31 प्रतिशत राशन वितरण हो पाया था। जिले में सबसे कम बाजना जनपद पंचायत के 36987 हितग्राही परिवार 3197 को राशन यानी 8.35 प्रतिशत को वितरण हुआ। यहीं हाल नगर परिषद् आलोट के रहे जहां 3248 कार्डधारियों में से 262 को राशन मिला। जिले में सबसे अधिक 33.19 प्रतिशत राशन का वितरण धामनोद में हुआ। सैलाना नगर परिषद् में 24.6 प्रतिशत एवं रतलाम नगर निगम में 23.93 प्रतिशत राशन वितरण हो पाया हैं।

अनुभाग स्तरीय समितियों का गठन

माही की गूंज, झाबुआ।

किसी भी मेले, झूले अथवा मनोरंजन स्थलों पर अव्यवस्था या भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने हेतु जिला प्रशासन द्वारा कदम उठाए गए हैं। कलेक्टर नेहा मीना द्वारा जिले में आयोजित होने वाले एम्यूजमेंट राइड्स/मेले/मनोरंजन स्थल/गेमिंग जोन आदि के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए जिला एवं अनुभाग स्तरीय समितियों का गठन किया गया है।

जिला स्तर पर गठित समिति में अपर कलेक्टर/अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सदस्य होंगे तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सदस्य सचिव रहेंगे। इसके अतिरिक्त कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कार्यपालन यंत्री मध्यप्रदेश विद्युत मंडल तथा परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण को सदस्य नियुक्त किया गया है।

यह समिति जिले में आयोजित होने वाले समस्त मेलों एवं मनोरंजन गतिविधियों की समुचित निगरानी एवं समन्वय सुनिश्चित करेगी।

अनुभाग स्तरीय समिति

अनुभाग स्तर पर मेले/एम्यूजमेंट राइड्स/मनोरंजन स्थल/गेमिंग जोन आदि के लिए अनुमति जारी करने हेतु समिति गठित की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अनुज्ञापन प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। समिति में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग (विद्युत एवं यांत्रिकी), तहसीलदार/नायब तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, संबंधित थाना प्रभारी, सहायक यंत्री म.प्र. विद्युत मंडल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी (नगर पालिका/परिषद) तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को सदस्य बनाया गया है।

आवश्यक प्रावधान

मेले/मनोरंजन स्थल/गेमिंग जोन/एम्यूजमेंट राइड्स के आयोजकों को आयोजन हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। समिति द्वारा प्राप्त आवेदन की तकनीकी एवं भौतिक परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर परीक्षण किया जाएगा।

अनुमति से पूर्व बिंदुओं का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। मेले का विधिवत ले-आउट तैयार किया जाना। झूलों की गुणवत्ता एवं भार क्षमता का परीक्षण तथा अधिकतम भार क्षमता संबंधी सूचना-पट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना। आगमन एवं निर्गम हेतु पर्याप्त मार्ग एवं खुला स्थान सुनिश्चित करना। भगदड़ अथवा आपात स्थिति से निपटने के लिए पूर्व तैयारी एवं आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना। अग्निशमन यंत्र, फायर ब्रिगेड, पानी के टैंक, रेत आदि की पर्याप्त व्यवस्था। अस्थायी अस्पताल/डिस्पेंसरी की व्यवस्था। पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती। झूलों के बीच पर्याप्त दूरी (गैप) सुनिश्चित करना। प्रकाश व्यवस्था सुचारू रखना एवं किसी भी प्रकार के अवैध विद्युत कनेक्शन पर प्रतिबंध। फायर सेफ्टी, लोक निर्माण विभाग, विद्युत एवं यांत्रिकी, नगरपालिका/ग्राम पंचायत आदि से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना। मेले में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करना एवं आमजन हेतु हेल्प डेस्क की व्यवस्था। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि का संचालन न होना सुनिश्चित करना तथा समय-समय पर निरीक्षण करना।

अनुभाग स्तरीय समिति द्वारा उपरोक्त बिंदुओं पर संतोषजनक प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत ही अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी।

12-14 फरवरी को निर्धारित क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय रहेगा बंद

माही की गूंज, झाबुआ।

सहायक यंत्री मं.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. झाबुआ (श.) वि. के ने बताया कि, 11 के.व्ही. हॉस्पिटल फीडर पर आवश्यक मेंटेनेंस कार्य किए जाने के कारण झाबुआ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निर्धारित तिथियों पर विद्युत सप्लाई अस्थायी रूप से बंद रहेगी।

12 फरवरी एवं 14 फरवरी को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक 11 के.व्ही. हॉस्पिटल फीडर का मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। इस अवधि में झाबुआ शहर अंतर्गत रामकृष्ण नगर, कलेक्टर कार्यालय, कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर निवास, एसपी ऑफिस, एसपी निवास, बस स्टैण्ड, मैन मार्केट, लक्ष्मी बाई मार्ग, शनि मंदिर, चैतन्य मार्ग, हॉस्पिटल कैम्पस, जिला जेल, महिन्द्रा शो रूम, विकलांग केन्द्र आदि क्षेत्रों की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी।

दो आदतन अपराधी को किया जिला बदर

माही की गूंज, झाबुआ। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर नेहा मीना द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 (क, ख) के अंतर्गत जिले में लोक-शांति एवं सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से दो आदतन अपराधियों को छह माह की अवधि के लिए जिला बदर किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेशानुसार अनावेदक बुवारिया पिता कोदर डामर, निवासी ग्राम मोईचारणी, तथा विशाल पिता राजेश डामोर, निवासी आवास कॉलोनी, मेघनगर को आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर झाबुआ जिले की राजस्व सीमा सहित समीपवर्ती जिले धार, रतलाम, आलीराजपुर एवं बड़वानी की राजस्व सीमाओं से बाहर जाना होगा। उक्त आदेश छह माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा।

पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार अनावेदक बुवारिया पिता कोदर डामर, निवासी ग्राम मोईचारणी, थाना पेटलावद, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसके विरुद्ध थाना पेटलावद में मारपीट सहित विभिन्न प्रकरण दर्ज हैं। वर्ष 1998 से यह थाना क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है।

वही विशाल पिता राजेश डामोर, उम्र 31 वर्ष, निवासी आवास कॉलोनी मेघनगर, थाना मेघनगर, गुण्डा प्रवृत्ति का होकर क्षेत्र में भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर लोक व्यवस्था एवं परिशांति को प्रभावित कर रहा था।

प्रतिवेदन अनुसार अनावेदक के विरुद्ध विभिन्न आपराधिक गतिविधियों, जैसे मारपीट, अवैध वसूली, अवैध शराब विक्रय, अवैध हथियार धारण करना एवं मादक पदार्थों के अवैध विक्रय आदि से संबंधित प्रकरण दर्ज हैं। वर्ष 2019 से यह अपने साथियों के साथ कस्बा मेघनगर एवं आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय रहा है, जिससे आमजन में भय का वातावरण निर्मित हो रहा था। जिनके विरूध जिला बदर की कार्यवाही की गई।

आधार सेंटर : चाहे जितनी शिकायतें व पेपर बाजी कर लो पर हम तो सरेआम लूट मचाएंगे ही...

3 फरवरी को 15 माह से कम उम्र के दिपराज व दिव्यराज के बनाए आधार कार्ड।

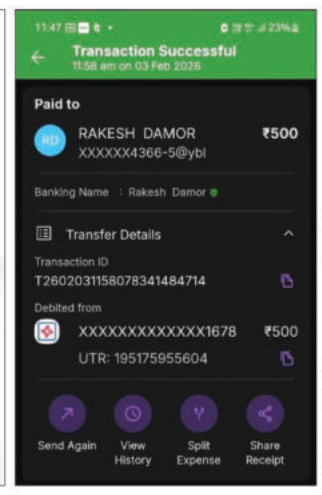

बच्चो के आधार कार्ड जो फि में बनना थे उसके संदिप चौहान से लिए 500 रूपए।

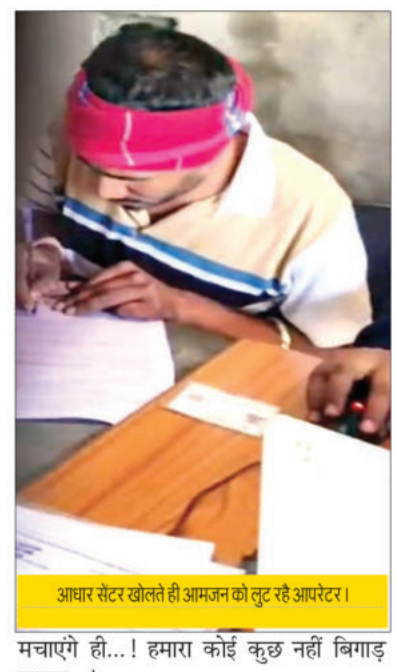

आधार सेंटर खोलते ही आमजन को लुट रहै आपरेटर।

माही की गूंज, कुंदनपुर। कृष्णपाल सिंह ठाकुर

कहा जाता है कि, किसी राज्य का राजा व उसका प्रशासन निरंकुश व निठल्ला हो तो राज्य में मनमानी, भ्रष्टाचार व लूट खसोट होना ही है। इसीलिए अंधेर नगरी व चौपट राजा की गौरवक्ति ऐसी स्थिति के लिये की गई है। और यह सब कुछ अंधेरी नगरी व चौपट राजा की कहावत झाबुआ जिले में खुल्ले आम चरितार्थ हो रही है। वही यहां राणा को काणा भी कहना अपराध की श्रेणी में प्रशासनिक नुमाइन्दे ले रहे हैं।

बात हम आधार कार्ड सेंटरो पर हो रही लूट की करें तो यह आधार कार्ड सेंटर के संचालको ने ऑपरेटरो के माध्यम से जमकर लूट झाबुआ जिले में मचा रखी है। बात यहां कहने को 100-150 रुपए अधिक लेने की है। लेकिन एक-एक से 100 से 150 रुपए की अधिक ये वसूली, कैलकुलेटर में संख्याओं के आधार पर लाखों-करोड़ों में महिना व साल में पहुंचती है। जिसका माही की गूंज ने पूर्व में भी प्रमाणिकता के साथ समाचार प्रकाशित किए थे। और आमजन के हक में समाचारों के प्रकाशन पर अंधेर नगरी के आकाओ ने ईनाम मे पुलिस की एफआईआर दी।

माही की गूंज ऐसे झूठे मामले दर्ज करने पर डरता नहीं है क्योंकि हमें प्रशासनिक नुमाइन्दे व खाकी वर्दी पर भरोसा नहीं है पर न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि, न्याय मिलेगा। लेकिन कहते हैं हरामो की हरामखोरी कितना भी कर लो खत्म नहीं हो सकती है। कुछ इसी तर्ज पर प्रशासनिक संरक्षण के साथ सरेआम आधार कार्ड सेंटर पर लूट आमजन के साथ की जा रही है। जिसका एक और उदाहरण मय प्रमाण के साथ कुंदनपुर में निजी मकान में नए आधार सेंटर खुलते ही लुट-खसोट करने का सामने आया है।

आधार सेन्टर खुले 3-4 दिन ही हुए थे कि, नए आधार सेंटर पर आधार कार्ड बनवाने हेतु स्थानीय निवासी संदीप चौहान अपने दो जुड़वा जन्मे दिव्यराज व दिपराज जिनका जन्म 12 नवम्बर 2024 को हुआ है जिनको 3 फरवरी को ले गया। बच्चों की आयु 15 माह से भी कम थी और 3 फरवरी को आधार कार्ड बनाने के नाम पर प्रति बच्चा 250 रुपए यानि कुल 500 रूप्ए लिए गए। उक्त 500 रुपए भी बच्चों के पिता संदीप चौहान ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आधार कार्ड सेंटर ऑपरेटर के बैंक खाते में किया।

संदीप चौहान को पता लगा कि, 10 साल के कम उम्र के बच्चों के आधार कार्ड फ्री में बनते हैं जिनका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। वही अलग-अलग करेक्शन पर अधिकतम आधार कार्ड सेंटर पर जाने पर 75 व 125 रुपए चार्ज है। संदीप चौहान जिनके बेटों का फ्री में ही आधार कार्ड बनना थे उससे 250-250 कुल 500 रुपए की लूट मासूम बच्चों के आधार कार्ड बनाने के नाम पर की गई। अपने-आप को ठगा महसूस किया जिसके बाद संदीप चौहान ने स्थानीय पत्रकार को कैमरे के सामने अपने बच्चों के आधार कार्ड बनाने पर 500 रुपए की हुई लूट के संबंध में बताया। कहा कि, उक्त रुपया भी ऑनलाइन उनके बैंक खाते में 500 रुपए ट्रांसफर किये हैं जिसका प्रूफ भी रिकॉर्डडेट है।

संदीप चौहान द्वारा नए खुले आधार कार्ड सेंटर पर हुई लूट की बात पत्रकारो को बताई जिसके बाद स्थानीय प्रतिनिधि बात को और पुख्ता प्रमाणित करने हेतु आधार कार्ड सेंटर पर पहुंचा और ग्राहक बनकर पूछा कि, आधार कार्ड बना रहे हो...? जवाब मिला हां, गुड़िया का आधार कार्ड बना दोगे...? हां, कितने पैसे...? 250 रुपए, अपडेट वगैरा करवाना हो या नया बनाना हो तो...? 250 रुपए, मेरा मोबाइल नम्बर चेंज करवाना हो तो...? हां सभी के 250-250 रुपए लगेगें।

उक्त बात भी माही की गूंज के पास में मय प्रमाणित वीडियो के साथ है। जिसमें आधार कार्ड सेंटर के ऑपरेटर बच्चे के आधार कार्ड बनाने से लेकर किसी प्रकार के भी अपडेट आधार कार्ड में करने पर 250-250 रुपए शुल्क लेने की बात कर रहै है। लेकिन यह सरेआम लुट प्रशासनिक नुमाइंदों के संरक्षण के बगैर संभव नहीं है। और इसलिए यहां स्पष्ट होता है कि, राज्य का राजा व उसका प्रशासन पूरी तरह से निरंकुश व निठल्ला है। जिसके चलते आधार कार्ड सेंटर के संचालक आपरेटरो के माध्यम से आम लोगों के साथ आधार कार्ड के नाम पर लूट कर रहे हैं। और चिख-चिख कर कह रहे हैं कि, चाहे जितनी हमारी शिकायतें कर दो व हमारे खिलाफ पेपर बाजी कर लो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता...! हम तो सरेआम लूट मचाएंगे ही...! हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता...!

राणा को काणा कहने पर इन्है बहुत बुरा लगता है इसलिए आधार कार्ड सेंटर संचालको कि, उक्त गौरवक्ति के बाद अब मन करता है कि, उक्त आधार कार्ड भ्रष्टाचार सम्मान-पत्र भी कलेक्टर से लेकर आधार कार्ड संचालक व ऑपरेटरो को देना चाहिए...! ताकि भ्रष्टाचार की जीस नीव को जो यह प्रशासनिक नुमाइन्दे मजबूत करना चाहते हैं उसमें ऐसे सम्मान-पत्र इनकी नीव का पत्थर साबित हो सके...!

कैबिनेट मंत्री व कलेक्टर के हाथो दीदी कैफे का हुआ उद्घाटन उस पर लगा ताला

माही की गूंज, पेटलावद।

पेटलावद तहसील कार्यालय में गत वर्ष कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया और जिला कलेक्टर नेहा मीणा ने आजीविका दीदी कैफे का उद्घाटन जोर-शोर से किया था। लेकिन कुछ समय ही कैफे संचालित हों पाया और विगत दो-तीन माह से कैफे पर ताला लगा हुआ है। पेटलावद स्थित अनुभाग ओर तहसील कार्यालय का नया भवन रूपगढ मार्ग पर बन चुका है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का भवन रूपगढ रोड पर परिवर्तित हो चुका है जबकि तहसील कार्यालय का नया भवन अभी निर्माणाधीन है, अनुभाग कार्यालय पुराना भवन खाली होने के बाद महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से नारी शक्ति संकुल संगठन पेटलावद को कैफे संचालित करने के लिए दिया था। जिसके उद्घाटन कार्यक्रम में कलेक्टर झाबुआ और केबिनेट मंत्री पहुंची थी और समूह संगठन के नाम से महिलाओं को रोजगार देने के बड़े-बड़े दावे किए थे।

ग्राहकी का अभाव, ऐसे ही सरकारी भवन चले जाते निजी हाथों में

अनुविभागीय कार्यालय का स्थान परिवर्तित होने से तहसील कार्यालय क्षेत्र में लोगो के आने-जाने वालों की कमी हो गई है। वहीं ऑन लाइन सुविधाओ के चलते तहसील कार्यालय में भी लोगों का आना जाना कम होने से कैफे पर ग्राहकी की कमी देखी जा रही थी, हालाकि अभी ये तय नहीं है कि कैफे बंद होने के पीछे मुख्य कारण क्या है। खेर जो भी हो तहसील कार्यालय के खाली पड़े इस हिस्से में आजीविका दीदी कैफे का बोर्ड लगा हुआ है। कैफे के उद्घाटन के समय गूंज ने इस मामले को प्रमुखता से खबर प्रकाशित करते हुए पुराने भवन की बंदरबाट शुरू होने की

खबर प्रकाशित की थी। नगर में ऐसे कई सरकारी भवन ओर स्थान हैं जो किसी संगठन को किसी विशेष प्रयोजन के नाम से दिए गए थे जो कुछ समय के बाद केवल उस संगठन की संपत्ति बन कर रह गई ओर उन पर ताले लगे हुए है ओर वो संपत्ति निजी हाथों में चली गई है।

मनाई शबरी जयंती, सांसद ने भी लिया दर्शन लाभ

माही की गूंज, पेटलावद।

शिवकुंड धाम में रविवार को माता शबरी की जयंती श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाई गई। ÷चले राम शबरी धाम÷ कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित इस धार्मिक आयोजन में माता शबरी का विशेष पूजन, महाआरती हुई व चुनरी ओढ़ाई गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस अवसर पर शिवकुंड धाम पहुंचे और माता शबरी के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान भोलेनाथ एवं संत श्री 1008 श्यामाचरण दास जी महाराज के पूजन के साथ हुआ। इसके पश्चात संस्कृत प्रचारक मोहन डामर एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष अकमालसिंह डामोर द्वारा माता शबरी को श्रद्धापूर्वक चुनरी अर्पित की गई। शबरी जयंती के विशेष अवसर पर श्रद्धालुओं ने माता शबरी को बेर का भोग लगाया, जिसके बाद महाप्रसादी का वितरण किया गया।

एक मात्र मंदिर

मान्यता के अनुसार शिवकुंड धाम में माता शबरी का एकमात्र मंदिर स्थापित है, जहां प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों की श्रृंखला में हनुमान प्रांगण में संत लोकेश नाथ महाराज के सानिध्य में सुंदरकांड का पाठ संपन्न हुआ। इंदौर के सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर द्वारा आयोजित 108 सुंदरकांड संकल्प श्रृंखला का यह तीसरा पाठ शिवकुंड धाम में पूर्ण हुआ। भक्तिमय वातावरण में ढोल-धमाकों के साथ श्री राम दरबार की भव्य एवं जीवंत झांकी निकाली गई, जो आकर्षण का केंद्र रही। ग्राम पांचपिपला से निकली इस झांकी में प्रभु श्रीराम, माता सीता एवं लक्ष्मण का स्वरूप धारण किए पात्रों ने माता शबरी के दर्शन किए, जिसे देखकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे।

इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद अनिता नागरसिंह चौहान भी शिवकुंड धाम पहुंचीं और माता शबरी व भगवान शिव के दर्शन किए। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने सांसद को क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए पानी की टंकी, सीसी रोड निर्माण, तालाब सौंदर्यीकरण एवं बोरवेल जैसी महत्वपूर्ण मांगें रखीं। आयोजन में मंडल अध्यक्ष जितेंद्र राठौड़, जनपद सदस्य कालुसिंह दरबार, अभय जैन, सरपंच भागुसिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे।

मनाया जाएगा शिवरात्रि पर्व

माही की गूंज, काकनवानी।

स्थानीय काकनवानी एवं ग्राम चोखवाड़ा में महाशिवरात्रि पर्व की तैयारी चल रही है। आसपास के सभी पलवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में इस आयोजन का ऐलान एवं घर-घर पर्चे बाट कर निमंत्रण दिए जा रहा है। शबरी आश्रम हनुमत निवास चोखवाड़ा पर 14 फरवरी शनिवार को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व के दौरान विशाल कलश यात्रा प्रातः 11 बजे रंजाली महूडी तोरणिया से बेंड बाजे के साथ सैकड़ो भक्त जन एवं साधु संतों के साथ आश्रम हनुमंत निवास चोखवाड़ा पहुंचेगी।

मंदिर पुजारी लूला महाराज, ट्रस्ट अध्यक्ष कालू भूरिया एवं व्यवस्थापक रमेश वसुनिया ने बताया कि, महाशिवरात्रि के रोज मेला का आयोजन भी रखा गया है। इस दौरान 151 कलश, यात्रा में ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं कलश को लेकर चलेगी जो 3 किलोमीटर की यात्रा के पश्चात भगवान भोलेनाथ के स्थानीय मंदिर पर जलाभिषेक किया जाएगा। इसके बाद महाआरती एवं दूर-दूर से पधारे संतो द्वारा उपस्थित भक्तजनों को समाज में हो रही कुरितियो को दूर करने हेतु सुझाव एवं अपने धर्म पर बने रहने के लिए किसी के बहकावे में आकर धर्म परिवर्तन न करने के लिए समझाईस दि जाइगी। इसके बाद बाहर से आई हुई मंडलियों द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन रखा गया है कार्यक्रम समापन के पश्चात भंडारे का आयोजन भी रखा गया है।

सत्र खत्म होने आया वेतन को तरसते अतिथि शिक्षक

वर्ग एक और दो का दो माह तो वर्ग तीन को पांच माह से वेतन बाकी

माही की गूंज, पेटलावद।

अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए शासन ने प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक अतिथि शिक्षको की भर्ती एक निश्चित वेतन के शिक्षा सत्र के लगभग 7-8 माह के लिए की जाती है। वेतन नियमित शिक्षकों के मुकाबले 20 प्रतिशत से भी कम वेतन पर शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चला रहे है लेकिन सरकार इनके वेतन की व्यवस्था तक समय पर नहीं कर पा रही है। झाबुआ जिले के पेटलावद विकास खंड में अतिथि शिक्षक वेतन के लिए संघर्ष कर रहे है ओर समय पर वेतन नहीं मिल पाने के बाद भी नियमानुसार शिक्षा व्यवस्था में अपनी सेवाए दे रहे है।

परिवार को पालना हुआ मुश्किल

पेटलावद विकास खंड में वर्ग एक 74, वर्ग दो 218 ओर तीन के 187 शिक्षक वर्तमान में कार्यरत है। वर्ग एक ओर दो के अतिथि शिक्षको का वेतन विगत 2 माह से बकाया है। वर्ग तीन के शिक्षकों को तो विगत पांच माह से वेतन नहीं मिला जिससे उनको परिवार भरण पोषण करने की परेशानी खड़ी हो गई। कई अतिथि शिक्षको की रोजी रोटी का साधन यही अस्थाई नौकरी ही है।

खंड शिक्षा अधिकारी देवेंद्र ओझा से इसकी जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि, वर्ग एक व दो के वेतन के भुगतान के लिए बिल जनरेट हो चुके है एक-दो दिन में इनका भुगतान हो जाएगा और वर्ग तीन के शिक्षकों के वेतन के लिए आगे से आवंटन नहीं आया है। हमने जिला अधिकारी को लिखित में वेतन के लिए राशि आवंटन की मांग की है।

वर्ग तीन में अतिथि शिक्षक पद पर कार्य कर रहे कई बेरोजगार युवा की आमदनी यही है ओर इससे इनके परिवार का भरण पोषण भी चल रहा है। वर्ग तीन के अतिथि शिक्षको ने बताया कि, शासन द्वारा नियुक्ती के बाद से अतिथि शिक्षक के पद पर ईमानदारी से कार्य कर रहे है। कई स्कूल तो हम अतिथियों के भरोसे ही संचालित हो रही हैं इसके बाद भी कई-कई महीनों तक वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। जिससे हमारे परिवार को चलाना भी मुश्किल हो रहा है। दूसरी ओर नियमित शिक्षकों में मिलने वाला लाखों रुपए का वेतन किसी भी स्थिति में एक से पांच तारीख के मध्य हो जाता है।

संपादकीय

हितधारक संस्थाओं की जवाबदेही तय हो

देश में तेजी से बढ़ रहे साइबर ठगी के मामलों पर शीर्ष अदालत का सख्त रुख वक्त की जरूरत है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में 54 हजार करोड़ रुपये का डिजिटल फॉड सीधे - सीधे डकैती है। साइबर ठगी खासकर डिजिटल अरेस्ट के जरिये उपभोक्ताओं का करोड़ों रुपये हड़पने के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने जवाबदेह हितधारकों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने सीबीआई, बैंकों, आरबीआई की कोताही पर प्रश्न खड़े किए। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इन संस्थाओं ने लोगों के खून-पसीने की कमाई को बचाने के लिये समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाये हैं। कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट मामलों में कतिपय बैंक अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट का कहना था कि यह कैसे संभव है कि बैंक अधिकारियों की नाक के नीचे साइबर ठग खाताधारकों का करोड़ों रुपया ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाते हैं। कोर्ट ने आशंका जतायी कि इन साइबर ठगी में बैंक अधिकारियों की लापरवाही या मिलीभगत हो सकती है। साइबर ठगी को सीधी डकैती की संज्ञा देते हुए अदालत ने कहा कि इस ठगी पर रोक के लिये केंद्र सरकार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर यानी एसओपी तैयार करे। इतना ही नहीं कोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि आरबीआई, दूरसंचार विभाग और अन्य हितधारकों के लिये चार सप्ताह में एसओपी का ड्राफ्ट तैयार किया जाए। बैंकों की कारगुजारी पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि बैंकों को अहसास होना चाहिए कि वे जनता के पैसों के ट्रस्टी हैं। उन्हें जनता के भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई कि आखिर कैसे साइबर ठगी के लाखों केस सामने आ रहे हैं। अकसर सवाल उठाये जाते रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट व अन्य धोखाधड़ी के मामलों में करोड़ों रुपये साइबर अपराधी दूसरे खातों में डाल रहे होते हैं तो बैंक समय पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? जबकि बैंकों के पास डेबिट कार्ड को अस्थायी रूप से होल्ड करने का भी अधिकार है।

इसमें दो राय नहीं कि बैंकों के पास ऐसा सिस्टम होना जरूरी है, जिसके जरिये निगरानी हो सके कि कैसे किसी के खाते से निकाली गई बड़ी धनराशि जल्दी-जल्दी दूसरे खातों में हस्तांतरित हो रही है। निश्चित तौर पर बैंकों के सुरक्षा सिस्टम को तत्काल ऐसे मामलों में संज्ञान लेना चाहिए। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को रिजर्व बैंक के बाबत टिप्पणी करनी पड़ी कि साइबर ठगी के जरिये जिन खातों से पैसा ठिकाने लगाया जाता है, उस पर संबंधित बैंकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। यह सवाल तार्किक है कि अब तक संबंधित बैंक हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहे हैं? इसमें दो राय नहीं कि यदि बैंक,पुलिस और अन्य एजेंसियां समय रहते तत्काल कार्रवाई करें तो लोगों के खातों में डकैती से हुए नुकसान को कम किया जा सकता है। वैसे एक साल में बाइस लाख साइबर ठगी की शिकायतें सामने आने के बाद कहना कठिन है कि सीबीआई और अन्य एजेंसियां साइबर ठगी के मामलों में तत्काल अंकुश लगा पाएंगी। वक्त की जरूरत है पुलिस व अन्य एजेंसियों को प्रशिक्षित करके इतना सक्षम बनाया जाए कि वे इन अपराधों की संख्या पर रोक लगा सकें। यह तभी संभव है जब देश का गृह मंत्रालय, केंद्रीय बैंक और टेलीकॉम अथॉरिटी मिलकर इस दिशा में तुरत-फुरत काम करें। इसके लिये जरूरी है कि पूरे देश में यथाशीघ्र एसओपी लागू किया जाए। जिसके लिये शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर ड्राफ्ट तैयार करने को कहा है। निश्चित ही यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक छोटे राज्य के सालाना बजट से अधिक करीब 54 हजार करोड़ रुपये की धनराशि साइबर डकैती से लूट ली गई है। जिसमें राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों की भूमिका बनी हुई है। आज देश के बुजुर्गों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों व भोले-भाले लोगों को जिस तरह साइबर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ केंद्र सरकार को राज्य सरकार व अन्य एजेंसियों के साथ तालमेल बनाकर युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है।

जहरीले बयान से विषैले पानी तक कटघरे में एमपी की सरकार

किसी भी सरकार की दृढता और जन सामान्य से जुड़े विषयों में उसकी संवेदनशीलता सरकार की कीर्ति, ख्याति और गुणगान का महत्वपूर्ण आधार होती है। इस लिहाज से मध्यप्रदेश राज्य सरकार जिसने अपने नवीन नैतृत्व के साथ दो बरस से अधिक की कार्य अवधि पूर्ण कर ली है, अब यह जानना बहुत जरुरी हो जाता है की जनसामान्य से जुड़े आवश्यक विषयों के प्रति सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता और अफसरों का दृष्टिकोण क्या है? जब किसी राज्य में केंद्रीय नैतृत्व ने नव प्रयोग करते हुए वरिष्ठता के क्रम को उलांघकर मोहन यादव को मध्यप्रदेश की सरकार का मुखिया बनाया हो, तब राज्य सरकार का मूल्यांकन और भी जरुरी हो जाता है। सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता की नजर से करने का पैमाना वैसे तो पांच बरस में होने वाले चुनाव है। इस पैमाने पर अब से दो बरस पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिँह चौहान के नैतृत्व में एमपी की जनता ने भाजपा को व्यापक जन समर्थन देकर राज्य में राज्य में पांच वर्षीय कार्यकाल सौपा है, जनादेश इतना बड़ा की बहुमत से 50 सीटें अधिक याने की 230 में से 163 सीट जीतकर भाजपा ने इतिहास रचा। किंतु यह सफलता भाजपा को पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान के नैतृत्व में प्राप्त हुई थी। शिवराज के नैतृत्व में भाजपा को मिले व्यापक जन समर्थन के बाद भाजपा हाईकमान ने शिवराज के स्थान पर महाकाल की नगरी उज्जैन दक्षिण के विधायक एमपी सरकार के पूर्व शिक्षामंत्री मोहन यादव को प्रदेश की कमान सौपी। मध्यप्रदेश में मोहन यादव ने 13 दिसम्बर 2023 को राज्य के 19 वें मुख्यमंत्री के रुप में शपथ ग्रहण की थी।

मध्यप्रदेश जिसकी बागडोर शिवराज के हाथों से मोहन यादव के हाथों में आ चुकी थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री के रुप में अपने शुरुवाती निर्णयों में मोहन यादव सरकार की दृढता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही 13 दिसम्बर 2023 को धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर निर्धारित डेसिबल से अधिक तेज आवाज वाले लाउडस्पीकरों और डीजे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। यह कदम सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत ध्वनि प्रदूषण कम करने और जन स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए उठाया गया था। इस निर्णय को सम्पूर्ण प्रदेश में समान रुप से लागू करने में भी सफलता प्राप्त हुई थी। जब गाँव-गाँव, शहर-शहर ऊँचे स्थानों पर लाउड स्पीकर लगाकर धार्मिक कट्टरवाद की प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा था। मोहन यादव की सरकार ने आमजनता के हित में दृढता से कदम उठाया। उक्त निर्णय को समान रुप से लागू भी किया। तेज आवाज से परेशान आमजन को राहत देने का काम किया था। एमपी की सरकार का दूसरा कठोर निर्णय परिवहन चैक पोस्ट समाप्त करने का था। जिसका आधिकारिक निर्णय 30 जून 2024 को लिया गया। और यह 1 जुलाई 2024 से पुरे राज्य में लागू भी हो गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अंतर प्रांतीय सीमाओं पर होने वाली अवैध वसूली को रोकने और गुजरात मॉडल अपनाने के लिए चेक पोस्ट को बंद करने का कड़ा फैसला लिया था। यह फैसला सरकार का भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार था। जनता से जुड़े कठोर निर्णय लेने वाली मोहन सरकार कुछ मामलों में अनिर्णय का शिकार होती दिखी, जिन विषयों पर संवेदनशीलता और दृढता दिखाए जाने की आवश्यकता थी, राज्य सरकार और उसके मुखिया खामोश नजर आए। ऐसा ही राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा मामला एमपी सरकार के जनजातीय कार्यमंत्री के रुप में विजय शाह द्वारा दिया गया बयान था। उन्होंने भारतीय सेना की कर्नल सौफ़िया कुरैशी जिन्होंने आपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की कार्यवाही से दुनियाँ को अवगत कराया स्वयं भी कार्यवाही का हिस्सा रही। उन पर दिए जहरीले बयान में मंत्री विजय शाह ने उन्हें आंतकियों की बहन कहकर सम्बोधित किया। भारत राष्ट्र की जिस नायिका पर देश गौरव कर रहा है, एमपी सरकार के जिम्मेदार मंत्री द्वारा दिए बयान ने मध्यप्रदेश की जनता को शर्मन्दगी से भर दिया था, उनका यह बयान देश की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाला है, किंतु आश्चर्य की 10 माह होने को आए मंत्री अपने पद पर बना हुआ है। एमपी की सरकार उन्हें मंत्री पद से हटाने में नाकाम दिखाई दी, जब से अब तक का हर दिन एमपी की सरकार और उसके मुख्यमंत्री की संवेदना और दृढता को मुंह चिढ़ाता प्रतीत हो रहा है।

एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर जिसे देश के सबसे साफ शहर का तमगा मिला हुआ है। अभी वर्ष 2026 की जनवरी माह में इस शहर के भागीरथ पूरा इलाके में विषैले पानी से फैले डायरिया के कारण एक के बाद एक 33 लोगो की मौत हो गयी। मौत का क्रम अभी भी जारी है, जाने कब रुकेगा, सरकार ने तीन अधिकारियो को निलंबित किये जाने एवं मृतक परिवार को मुआवजे के रुप में मात्र 2 लाख रु की घोषणा कर इस गंभीरतम अपराध पर पर्दा डालने का प्रयास किया। इस अति गंभीर विषय पर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री ने एक पत्रकार को दिए बयान में फोकट प्रश्न और घंटा जैसे शब्दों के इस्तेमाल ने प्रदेश की जनता को झकझोर दिया। इस बयान ने प्रदेश को गहरे रुप से शर्मिंदा किया। एमपी के इंदौर में विषैले पानी से हुई मौत के सम्पूर्ण घटनाक्रम पर सरकार संवेदन शून्य नजर आई। यह विषय प्रदेश के विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने का मौका था, विपक्ष ने ऐसा ही किया। सरकार और मुख्यमंत्री विपक्ष को दोष देते दिखे। इस अति गंभीर विषय पर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा की फायर ब्राड नेता उमा भारती का बयान काबिले गौर रहा, जिसमे जनमत की आवाज सुनाई दी उन्होंने इ पर अपनी पोस्ट में लिखा ' सिर्फ इंदौर के मेयर ही नहीं, मध्यप्रदेश का शासन एवं प्रशासन कटघरे में खडे है, इस महापाप के सभी जिम्मेदार लोग जनता के प्रति अपराध के कटघरे में खडे है, उमा भारती ने लिखा इंदौर दूषित पानी के मामले में यह कौन कह रहा है की हमारी चली नहीं, जब आपकी चली नहीं तो आप पद पर बैठे बीसलेरी का पानी क्यों पीते रहे? जनता के बिच क्यों नहीं गए? ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता या तो प्रायश्चित या दंड!' उमा भारती की इस पोस्ट में सरकार को सख्त कदम उठाने का संदेश था। किंतु सत्तामद में चूर प्रदेश सरकार इस संवेदनशील विषय पर असंवेदनशील नजर आई। घटनाक्रम तो प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, राशन माफिया, शराब माफिया, बढ़ती बेरोजगारी, लालफीताशाही भी है,किंतु आपरेशन सिंदूर की नायिका सौफ़िया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह के बयान के बाद भी उनका पद पर बने रहना? इंदौर के भागीरथ पूरा में विषैले पानी से हुई 33 लोगो की मौत के बाद सरकारी तत्परता की कमी, सरकारी दृढता का अभाव, प्रदेश सरकार के मुखिया मोहन यादव जो अपने आरम्भिक कुछ महीनों में कठोर निर्णय लेते दिखे, बाद में अनिर्णय का शिकार हो गए। विषैले पानी और जहरीले बयान के बाद सरकार के कमजोर फैसलों ने एमपी सरकार के मुखिया और सरकार की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव को जरूरत है, संवेदनशील विषय पर कठोर रुख इखितयार करने की, हाई कमान एक बार मौका देता है, बाद में प्रदेश की जनता आपको मजबूत लीडर के रुप में देश के सामने प्रस्तुत करती है। जनता का नेता बनने के लिए जरूरत है। जनभावना के सम्मान की एमपी की सरकार और उसके मुखिया मोहन यादव को समय रहते जनता की भावना का आदर करना सीखना होगा। हर विषय पर दिल्ली की और देखना भी आपकी कमजोरी और निर्णय लेने में देरी को प्रदर्शित करते है।

नरेन्द्र तिवारी

समतामूलक समाज लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त

क्षमा शर्मा

यूजीसी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बारे में ऑनलाइन न जाने कितना कुछ पढ़ा, कितने वीडियो और रील्स देख चुकी। सब लोग अपनी-अपनी तरह से बातें कह रहे हैं।

बचपन से घर में सुनती आई हूं कि जातिवाद बहुत खराब चीज है। इससे हर हालत में मुक्ति पाई जानी चाहिए। ऐसे बहुत से बच्चों को अपने ही घर में पढ़ते-लिखते देखा, अच्छी नौकरियों पर जाते देखा है, जिन्हें तथाकथित निचली जाति कहा जाता है। इन्हें यहां तक पहुंचाने में बड़े भाई की बहुत भूमिका थी, क्योंकि वह दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। उस समय जाति तोड़क आंदोलन भी चलते थे, लेकिन आज इनका कहीं नाम भी सुनाई नहीं देता। यद्यपि पढ़े-लिखे तबके में इस बात पर आम सहमति है कि जाति को खत्म होना चाहिए। सभी को समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन जातिगत विमर्श नहीं चाहते कि जाति खत्म हो। क्योंकि उन्हें लगता है कि इसी के आधार पर वे सरकार की नीतियों में अपनी जगह बना सकते हैं। अधिक से अधिक हिस्सेदारी पा सकते हैं।

नब्बे के दशक में जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई थीं, तब भी ऐसा आंदोलन हुआ था, लेकिन वह बहुत दिनों तक नहीं चला। सामान्य वर्ग ने इसे स्वीकार कर लिया।

तब देश ने भूमंडलीकरण की तरफ अपने कदम बढ़ाए। तमाम बड़ी कम्पनियां आईं। जिन लोगों के लिए सरकारी नौकरियां नहीं थीं, वे उधर चले गए और अवसरों की जो कमी कही जा रही थी, वह उतनी नहीं रही। बड़ी संख्या में लोग विदेश चले गए। बताया जाता है कि भारतीय सबसे अधिक पैसा अपने देश में भेजते हैं। देश की आर्थिकी को बढ़ाने में विदेशों में रहने वाले इन भारतीयों का बड़ा योगदान है, जिसका सेहरा अधिकांश राजनेता अपने सिर बांधते हैं।

एक तरफ तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण लाखों की नौकरियां जा चुकीं या जाने वाली हैं। अब नौकरी जाने का आधार यह भी नहीं रहा कि आप कितने मेहनती हैं। किसी कम्पनी की ग्रोथ में आपका कितना योगदान रहा। कम्पनियों को बढ़ाने में आपने चौबीस सात के हिसाब से काम किया। बल्कि रोबोट ही लाटरी के आधार पर फैसला कर रहे हैं कि किसे रखना है, किसे निकालना है। एआई के जन्मदाता ज्योफ्री हिंटन बार-बार कह रहे हैं कि इससे नब्बे प्रतिशत नौकरियां चली जाएंगी। दुनिया की किसी सरकार के पास बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज से निपटने की कोई योजना नहीं है।

टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ही कुछ दिन पहले कहा था कि बीस साल बाद लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। लोग सिर्फ शौकिया ही काम करेंगे। ऐसे में यदि विकास के लिए आप पुराने औजारों को ही धार दे रहे हैं तो वे नहीं चलने वाले।

अपने देश में नौकरियों में लगातार आरक्षणवाद का बढ़ना लोगों को शंकित करता है। लोग खुद कितनी भी तकलीफ झेल लें, लेकिन यदि उनके बच्चों पर कोई बात आती है तो वे इसे नहीं सह सकते। यूजीसी गाइडलाइंस ने यही किया। लोगों को लगा कि अब तक तो नौकरियों पर ही खतरे थे, अब उनके बच्चे पढ़ भी नहीं सकते। वैसे भी दशकों से सामान्य वर्ग कहे जाने वाले लोगों के लिए सरकारों के पास कोई योजना नहीं है। दस प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण से भी कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं। भारत सरकार की ही रिपोर्ट कहती है कि सामान्य वर्ग कहे जाने वाले लोगों में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। लेकिन अपनी ही रिपोर्ट से शायद सरकारों ने आंखें मूंद रखी हैं।

जिस लोकतंत्र की दुहाई हम हर रोज देते हैं, वह दरअसल संख्या का खेल है, जिसका जितना वोट, उसे पाने के लिए उतनी ही सरकारी योजनाएं। जितनी जिसकी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी। किसी विदेशी विद्वान ने कहा था कि लोकतंत्र एक सतत युद्ध है, जो दिखाई भी देता है।

आम शहरी मध्यवर्ग ने सरकार के नारे कि हम दो हमारे दो को अपना लिया। आज तो यह और बढ़कर, हम दो हमारा एक हो गया है। ऐसे में सामान्य वर्ग की आबादी कम भी होती गई है। बढ़ता शहरीकरण भी इसका एक कारण है। कई वीडियो और रील्स ऐसी देखीं, जिसमें लोग यही कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी हमारी ही क्यों है। हम ही टैक्स दें। हम ही कम से कम बच्चे पैदा करें और हमारी कम आबादी के कारण केंद्र और राज्य की सरकारें हम से मुंह मोड़ लें। ऐसे में एक वर्ग छला हुआ महसूस कर रहा है।

देश में चालू विमर्शों, जैसे स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, ओबीसी विमर्श आदि के कारण बहुत से ऐसे कानून बने हैं, जहां एक बार शिकायत करते ही आरोपी को अपराधी बना दिया जाता है। उसे जेल भेज दिया जाता है। सुनवाई भी कहीं नहीं होती। कुछ साल पहले उच्चतम न्यायालय ने यही तो कहा था कि दलित एट्रोसिटीज एक्ट के अंतर्गत शिकायत हो, तो किसी को तुरंत न पकड़ा जाए, पहले जांच की जाए। इस बात पर बहुत से संगठनों ने हल्ला मचाया और न्यायालय के इस निर्णय को सरकार ने पलट दिया। आखिर बिना जांच के कि किसी ने अपराध किया है या नहीं, किसी को जेल भेज देना किस कानून में लिखा है। किस लोकतांत्रिक मूल्य को पुख्ता करता है। दहेज निरोधी कानून के अंतर्गत भी आरोप लगाते ही पकड़ लिया जाता है। दुनिया में कहीं भी इस तरह के एकपक्षीय कानून नहीं हैं।

कानून का स्वरूप प्राकृतिक न्याय वाला होना चाहिए। उसे जाति, लिंग, धर्म के आधार पर न्याय नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकारें चूंकि वोट के बहुसंख्यक वाद से चलती हैं, इसलिए हर नीति और कानून वह बनाती हैं, जिससे उन्हें अधिक से अधिक वोट मिलें।

यूजीसी मामले में भूमिका निभाने वाली मशहूर वकील इंदिरा जयसिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सामान्य वर्ग को किसी स्कालरशिप की क्या जरूरत। वे सब तो बहुत पैसे वाले हैं। मैडम एक बार गांवों में जाकर ही देख आतीं। गांवों में न सही, तो दिल्ली शहर में ही एक सर्वे कर लेतीं कि तमाम सोसायटियों के चौकीदार, मेहनत-मजदूरी करने वाले, ई-रिक्शा चलाने वाले किस वर्ग से आते हैं। कई वीडियोज ऐसे भी देखे, जिसमें यूजीसी मामले पर दलित कह रहे हैं कि ओबीसी और हमें एक साथ क्यों रखा। ऐसे ही ओबीसी कह रहे हैं कि हमें दलितों के साथ क्यों रखा। दलित एट्रोसिटीज के अधिकांश मामले हमारे ही खिलाफ हैं। अखिलेश यादव लाख पीडीए बनाते रहे, उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने प्रमोशन में दलितों के आरक्षण का विरोध किया था।

कुल मिलाकर सरकार ने सोचा कि वह कुछ भी करती रहे, कोई उसका विरोध नहीं करेगा। अपने कोर वोटर को उसने ग्रांटेड लिया और उसका नतीजा देखा।

प्रकृति रक्षा के लिए कड़े कानूनी बदलावों की जरूरत

मानवता ने अपनी प्रगति की गाथा अक्सर प्रकृति की कीमत पर लिखी है। औद्योगिक क्रांति से लेकर आधुनिक डिजिटल युग तक, हमने विकास की अंधी दौड़ में कंक्रीट के ढेर तो खड़े कर लिए, लेकिन इसकी वजह से नदियों को विषाक्त नालों और हरे-भरे जंगलों को रेगिस्तान में तब्दील कर दिया। आज जब हिमालय की नींव धंस रही है और हवा सांसों में जहर घोल रही है, तब एक तीखा सवाल सामने है - क्या अपराध इंसानों के खिलाफ ही 'संगीन' होते हैं?

इसी सवाल से एक क्रांतिकारी शब्द ने जन्म लिया - 'ईकोसाइड' यानी 'प्रकृति का नरसंहार'। जिस प्रकार विश्व ने 'जेनोसाइड' को मानवता के विरुद्ध वीभत्स अपराध मानकर दंडित किया, अब प्रकृति के विरुद्ध किए जा रहे इस व्यवस्थित विनाश को भी उसी अंतरराष्ट्रीय कानूनी श्रेणी में रखा जाए। अब न्याय केवल इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि जंगलों और नदियों के लिए भी होना चाहिए, जिनका अस्तित्व हमारी लालसा की भेंट चढ़ गया।

वर्तमान परिदृश्य में 'प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करे' का सिद्धांत अपनी सार्थकता खोकर केवल 'वैध व्यापारिक लागत' बनकर रह गया है। बड़ी कंपनियां और औद्योगिक घराने पर्यावरण विनाश से भारी मुनाफा कमाते हैं और कानूनों का उल्लंघन करने पर लगने वाले जुर्माने को अपनी बैलेंस शीट में मामूली खर्च मानकर चुका देते हैं। इस व्यवस्था ने पैसे को संरक्षण के बजाय विनाश का 'लाइसेंस' बना दिया है। ईकोसाइड की अवधारणा इसी खामी पर प्रहार करते हुए नागरिक दायित्व को 'कठोर आपराधिक उत्तरदायित्व' में बदलने की वकालत करती है। संदेश देती है कि प्रकृति कोई 'कमोडिटी' नहीं जिसे नष्ट करके उसकी कीमत चंद रुपयों में चुकाई जा सके; बल्कि जीवंत इकाई है।

जब भोपाल गैस त्रासदी और श्रीराम फर्टिलाइजर्स जैसी भयावह घटनाएं हुईं, तो न्यायपालिका ने कानून की सीमाओं को विस्तार दिया। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने एम.सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1987) के मामले में 'एब्सोल्यूट लायबिलिटी' (पूर्ण दायित्व) का सिद्धांत प्रतिपादित किया। स्पष्ट किया कि यदि कोई उद्योग किसी खतरनाक गतिविधि में लगा है और उससे पर्यावरण को कोई नुकसान होता है, तो वह उद्योग बिना अपवाद उत्तरदायी होगा। ईकोसाइड कानून इसी 'पूर्ण दायित्व' के विचार को अगले स्तर पर ले जाता है। यह केवल क्षतिपूर्ति की बात नहीं करता, बल्कि व्यक्तिगत जवाबदेही और जेल की सजा का प्रावधान करता है ताकि जिम्मेदार अधिकारियों में कानून का भय और प्रकृति के प्रति सम्मान पैदा हो। कानूनी रूपांतरण का वह चरण जहां पर्यावरण का विनाश मानवता के खिलाफ संगीन जुर्म माना जाएगा।

इस कानूनी विमर्श का मुख्य केंद्र 'मानव-केंद्रित' दृष्टिकोण से हटकर 'प्रकृति-केंद्रित' न्यायशास्त्र को अपनाना है। भारतीय संविधान (अनुच्छेद 51ए(जी) और 21) पहले से ही पर्यावरण संरक्षण को कर्तव्य और अधिकार मानता है। लेकिन अब समय है प्रकृति के 'स्वतंत्र अधिकारों' को मान्यता देने का। ए. नागराजा (2014) और सलीम बनाम उत्तराखंड राज्य (2017) जैसे मामलों ने जानवरों और नदियों (गंगा-यमुना) को 'विधिक व्यक्ति' का दर्जा देकर नई राह दिखाई है। यदि एक नदी कानून की नजर में 'व्यक्ति' है, तो उसे प्रदूषित करना 'हत्या के प्रयास' जैसा गंभीर अपराध माना जाना चाहिए।

वैश्विक स्तर पर ईकोसाइड को अपराध घोषित करने की मुहिम तेज हो रही है, जहां बेल्जियम और फ्रांस जैसे देशों ने अपने घरेलू कानूनों में इसे शामिल कर मिसाल पेश की है। वर्तमान में 'स्टॉप ईकोसाइड इंटरनेशनल' जैसे संगठन यह प्रयास कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की 'रोम संविधि' में संशोधन कर ईकोसाइड को नरसंहार और युद्ध अपराधों की श्रेणी में 'पांचवां अंतर्राष्ट्रीय अपराध' घोषित किया जाए। ताकि कोई राष्ट्र या कॉर्पोरेट विकास की आड़ में पर्यावरण को अपूरणीय क्षति न पहुंचा सके।

भारत के लिए ईकोसाइड कानून अपनाना केवल एक कानूनी सुधार नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौटना होगा। 'वसुधैव कुटुंबकम्?' और 'माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः' के दर्शन को मानने वाले देश के लिए प्रकृति के अधिकारों की रक्षा करना एक स्वाभाविक कदम है। यह कानून विकास का विरोधी नहीं, बल्कि 'जिम्मेदार और सतत विकास' का समर्थक है। यह संतुलित प्रगति की परिभाषा है जहां मानवता और प्रकृति सह-अस्तित्व में फलें-फूलें।

डॉ. सुधीर कुमार

निश्चित रूप से, ईकोसाइड कानून के मार्ग में 'गंभीर क्षति' को परिभाषित करने और साक्ष्य जुटाने जैसी चुनौतियां हैं। इसके समाधान के लिए हमें अपने कानूनी शिक्षण में 'अर्थ ज्यूरिसप्रुडेंस' को शामिल करना होगा। अब हम जोशीमठ जैसे संकटों या दम तोड़ती नदियों को केवल 'प्राकृतिक आपदा' का लेबल न दें, बल्कि उन मानवीय निर्णयों की आपराधिक जांच करें जिन्होंने इन आपदाओं का मार्ग प्रशस्त किया। हमें एक ऐसी उत्तरदायी व्यवस्था चाहिए जो विकास की आड़ में किए गए संस्थागत अपराधों को पहचानकर उन्हें दंडित कर सके।

ईकोसाइड केवल एक कानूनी शब्द नहीं, बल्कि एक नैतिक चेतावनी है। प्रकृति को 'वस्तु' मानने की हमारी भूल हमें विनाश की ओर ले जा रही है। जब तक कानून की किताबों में 'प्रकृति की हत्या' को 'मानव की हत्या' के समकक्ष गंभीरता नहीं दी जाएगी, तब तक विनाश का यह सिलसिला नहीं थमेगा। ईकोसाइड कानून को मान्यता देना इस धरती के प्रति हमारी जवाबदेही का प्रमाण होगा।

17 करोड़ की सड़क बर्बाद, जिम्मेदार मौन...?

माही की गूंज, रतलाम।

देश की राजनीति में जहां एक ओर ऐतिहासिक फैसलों और विचारधाराओं को लेकर बहस जारी रहती है, वहीं जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला फोरलेन सड़क निर्माण में हुए कथित भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण से जुड़ा है, जिसे लेकर संबंधित मंत्री के पीए को पहले ही अवगत कराया गया था।

फोरलेन सड़क निर्माण में घटिया सामग्री और मानकों की अनदेखी की शिकायतें सामने आने के बाद मंत्री काश्यप के पीए मणीलाल जैन को पूरे मामले की जानकारी दी गई थी। शिकायत में स्पष्ट रूप से ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमों की अनदेखी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। बताया गया कि, इस पर मणीलाल जैन ने ठेकेदार और अधिकारियों को समझाइश देने की बात कही थी, लेकिन इसके बाद भी किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की गई। नतीजा यह हुआ कि सड़क का निर्माण पूरी तरह घटिया स्तर का साबित हुआ।

स्थानीय लोगों के अनुसार, सड़क कई जगहों से क्रैक हो चुकी है और कुछ हिस्सों में उखड़ने लगी है। निर्माण पूरा हुए ज्यादा समय भी नहीं बीता, इसके बावजूद सड़क की हालत खराब होना सरकारी तंत्र और निर्माण एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

ग्रामीणों और वाहन चालकों का कहना है कि, इस सड़क से रोजाना भारी वाहनों की आवाजाही होती है, ऐसे में सड़क का इस तरह से क्षतिग्रस्त होना हादसों को न्योता दे सकता है। लोगों ने मामले की उच्चस्तरीय जांच और जिम्मेदार अधिकारियों व ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह मामला एक बार फिर दर्शाता है कि यदि शिकायतों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया जाए, तो उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है और विकास कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं।

चिकित्सक की लापरवाही से माँ-बच्चों की मौत

माही की गूंज, मन्दसौर।

जिले के निवासी अंकित गेहलोत की पत्नी पूनम और उनके दो नवजात शिशुओं की मृत्यु के मामले में महावीर फतेह करे सेवा संस्था (बालाजी ग्रुप) ने कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित नगर के गणमान्य नागरिकों ने चिकित्सक पर लापरवाही, पीसी-पीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन और अवैध निजी प्रैक्टिस के गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें शासकीय सेवा से पृथक करने की मांग की है।

ग्रुप के जिलाध्यक्ष लोकेन्द्र मंगल बैरागी ने बताया कि, पूनम पिछले 8 माह से डॉ. रितु शर्मा की देखरेख में थीं। परिवार ने आरोप लगाया है कि 16 दिसंबर 2025 को गर्भ में दोनों शिशु जीवित थे, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर ने बिना किसी पैथोलॉजिकल जांच के दवाइयां दीं, जिससे शरीर में संक्रमण फैल गया। शिशुओं की धड़कन रुकने पर जब उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, तो वहां के स्टाफ ने भी 3 घंटे तक पीड़िता को बेड उपलब्ध नहीं कराया और वह तड़पती रहीं। बाद में उदयपुर के जीवन ज्योति हॉस्पिटल ले जाने पर पता चला कि एक शिशु की मौत 7 दिन पहले ही हो चुकी थी। संक्रमण इतना फैल चुका था कि दूसरे शिशु और अंततः माता पूनम को भी नहीं बचाया जा सका।

शासकीय चिकित्सक होते हुए भी चला रही निजी क्लीनिक

बालाजी ग्रुप ने ज्ञापन में यह भी मुद्दा उठाया कि डॉ. रितु शर्मा शासकीय चिकित्सक होते हुए भी निजी क्लीनिक चला रही हैं। साथ ही, बिना रेडियोलॉजिस्ट के डिजिटल हस्ताक्षरित सोनोग्राफी रिपोर्ट देना पीसी-पीएनडीटी एक्ट का सीधा उल्लंघन है। ज्ञापन में कहा कि मामले की गठित वर्तमान जांच समिति केवल पीड़ित पक्ष के बयान ले रही है; दोषी डॉक्टर के बयान लेकर अविलंब रिपोर्ट पेश की जाए। तथा डॉ. रितु शर्मा और संबंधित स्टाफ के विरुद्ध गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए। शासकीय नियमों के विरुद्ध निजी प्रैक्टिस करने पर डॉक्टर को शासकीय सेवा से तत्काल पृथक किया जाए। बालाजी ग्रुप ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने इस मामले में जल्द और निष्पक्ष कार्यवाही नहीं की, तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

ज्ञापन सौंपते समय हिम्मत डांगी, दिलीप शर्मा, विजय दुबेला, रूपनारायण मोदी, मंगल बैरागी, अंकित गेहलोत, महेश मोदी, बालाजी ग्रुप नगर अध्यक्ष लोकेश ठाकुर, लोकेश सोनी, गणपत कुमावत, किशोर सैनी, बलराम गेहलोत, मुकेश गेहलोत, नंदकिशोर राठौर, कपिल कच्छावा, योगेंद्र गेहलोत, हेमंत गेहलोत सहित बड़ी संख्या में ग्रुप सदस्य व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

कागज और कलम थामने वाला टीचर कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा बीआरसीसी ऑफिस

माही की गूंज, रतलाम।

स्कूल की कक्षा में कलम लेकर पढ़ाने वाला शिक्षक हाथ में हथियार लेकर किसी को मारने के लिए पहुंच जाए तो वर्तमान टीचरों की मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा एक बार नहीं वरन बार-बार कोई टीचर करे तो उसकी मानसिकता आपराधिक किस्म की ही हो सकती है। ऐसा ही रतलाम विकासखंड के एक टीचर की देखने में आई है। यह टीचर बार-बार अपने अधिकारियों को धमकाने, उन पर हथियार लेकर दहशत फैलाने में लगा हुआ है। पहले इनके घरों पर जाकर धमकाया और अब कार्यालय में ही कुल्हाड़ीलसेकर पहुंचा और मारने के लिए धमकाने लगा। यह तो अच्छा हुआ कि वहां मौजूद अन्य लोगों ने उसे रोक लिया और जिसे मारने आया था वह अपने चैंबर में चला गया वरना कोई बड़ी घटना होने से रोका नहीं जा सकता था।

ऐसा ही घटनाक्रम जिला शिक्षा केंद्र परिसर स्थित विकासखंड स्त्रोत केंद्र समन्वयक (बीआरसीसी) कार्यालय में मंगलवार को उस समय सामने आया जब निलंबित एक टीचर बाइक से पहुंचा और अपनी बाइक के झोले में रखी कुल्हाड़ी लेकर गाली गलौच करने लगा। इससे वहां हडक़ंपमच गया। निलंबित टीचर कुल्हाड़ी लेकर विकासखंड स्त्रोत केंद्र समन्यक(बीआरसीसी) विवेक नागर को धमकाने पहुंच गया। वह बाइक के झोले में कुल्हाड़ी लिए हुए था और जैसे ही वहां पहुंचा तो उसने कुल्हाड़ी निकाली और अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए हंगामा कर दिया। लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। बाद म बीआरसीसी नागर ने स्टेशन रोड थाने में आरोपी टीचर दिलीप राठौड़ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

दोपहर सवा दो बजे का घटनाक्रम

जिला शिक्षा केन्द्र परिसर स्थित बीआरसीसी कार्यालय में बीआरसीसी विवेक नागर व अन्य कर्मचारी थे। नागर ने बताया कि वह जिला शिक्षा केंद्र में एपीसी के साथ ही बीआरसीसी भी है। मंगलवार दोपहर करीब 2.20 बजे परिसर में खड़ा था। इसी दौरान दिलीप राठौर कुल्हाड़ी लेकर आया और दूर से अश्लील भाषा का उपयोग करते हुए पास आने की कोशिस करने लगा। उसका वीडियो बनाया तो वह और भी ज्यादा उग्र हो गया। उसका कहना था कि मैं प्रभारी डीपीसी राजेश झा के केस में गवाही देने क्यों गया था। मैंने कहा कि मेरी कोई गवाही नहीं है। इसके बाद दिलीप राठौर कुल्हाड़ी लेकर मारने दौड़ा तो मैं भागकर आफिस के कमरे में चला गया।

अन्य कर्मचारियों ने भी समझाया

बीआरसीसी परिसर में खडे विशाल सिंह और चतुर्थ श्रेणी गोपाल शर्मा भी वहां मौजूद थे। उन्होंने घटना देखी और बीच बचाव कर दिलीप को परिसर से बाहर भेजा। दिलीप राठौर पूर्व में प्राथमिक स्कूल में पदस्थ था और इन्होंने पूर्व में राजेश झा के साथ मारपीट की थी। इसका वर्तमान में कोर्ट में केस चल रहा है।

चोरी करने घुसा कंजर गिरोह, बदमाशों ने बुजुर्ग को मार दी गोली

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले के गरोठ थाना इलाके के बालोदा गांव में देर रात कंजर गिरोह चोरी की इरादे से घुसा। बदमाशों ने ट्रैक्टर चोरी करने की कोशिश की, इस दौरान उन्होंने टेंट की दुकान में सो रहे बुजुर्ग को गोली मार दी। इसके बाद बदमाश वहां से भाग निकले।

घायल गणपतलाल को गंभीर हालत के चलते मंदसौर से रतलाम रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गणपतलाल के पेट में लगी गोली/छर्रे अभी तक नहीं निकले हैं। उधर फायरिंग की घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा घटना स्थल पर पहुंचे।

कंजर गिरोह के बदमाश जब टेंट की दुकान पर पहुंचे तो वहां सो रहे 62 वर्षीय गणप?त लाल सेन उठ गए। इसके बाद बदमाशों ने उन पर गोली चला दी जो उनके पेट में लगी। बदमाश भाग निकले और गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे और बुजुर्ग को घायल पड़ा देखा। इसके बाद उन्हें गरोठ अस्पताल ले जाया गया। ब्लाक मेडिकल ऑफिसर डॉ दरबार गोपालसिंह ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रैफर कर दिया गया।

ग्रामीणों पर की फायरिंग

बालोदा के ग्रामीणों ने बताया कि करीब 4 से 5 बदमाश थे। ग्रामीणों द्वारा पीछा करने पर दो तीन जगह उन्होंने फायर किए। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कंजरों ने करीब 3 से 4 जगह चोरी की वारदात करने का प्रयास किया।

873 किसानों ने की शिकायत

माही की गूंज, रतलाम।

जिले में गत दिवस हुई बे मौसम बारिश के कारण रतलाम ग्रामीण सहित कई गांवों में गेहूं की फसल बारिश के बाद चली तेज हवा में आड़ी पड़ गई, किसानों के अनुसार आड़ी पड़ी फसल खराब होकर उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। इस संबंध में जिले के करीब 873 किसानों ने फसल बीमा कम्पनी को शिकायत कर शीघ्र सर्वे कर मुआवजे की मांग की हैं।

बेमौसम बारिश के चलते जिले के रतलाम ग्रामीण के अलावा अन्य विकासखंडों में भी किसानों की गेहूं आदि फसलों में काफी नुकसान हुआ। प्रभावित जिले के 873 के करीब किसानों ने फसल बीमा कम्पनी के नंबर पर शिकायत, जिस आधार पर पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, ग्राम कोटवार कृषकों की उपस्थिति में खेतों पर पहुंचकर फसलों अवलोकन कर रहे हैं।

498 अऋणि किसानों कराया फसल बीमा

इस साल जिले में अब तक 3 लाख 68 हजार 917 किसानों की एप्लिकेशन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत आई हैं। इसमें से 498 किसान अऋणि भी शामिल हैं। जनवरी के अंतिम सप्ताह और फरवरी की शुरुआत में मौसम कई क्षेत्रों को प्रभावित किया, कहीं तेज बारिश और हवा के कारण किसानों की फसलें खेतों में आड़ी पड़ गई।

अवलोकन कर रहे विभागीय कर्मचारी

बेमौसम बारिश और तेज हवा से ग्राम पंचायत प्रीतमनगर में 27 जनवरी एवं 2 फरवरी को हुई तेज बारिश व आंधी के कारण गेहूं की खड़ी फसल आड़ी हो गई, जिससे उत्पादन पर प्रतिकूल असर पडऩे की आशंका है। फसल नुकसान की स्थिति का जायजा लेने के लिए आज राजस्व विभाग ने खेतों का मौके पर निरीक्षण किया। पंचनामा तैयार कर पाया गया कि बेमौसम बारिश और हवा के कारण कई खेतों में गेहूं की फसल जमीन पर आड़ी पड़ गई है, जिससे दाने खराब होने की संभावना बढ़ गई है।

वर्षा के कारण गेहूं की फसल आड़ी पडी

कर्मचारियों ने किसानों से चर्चा कर पंचनामा तैयार कर रिपोर्ट आगे की कार्रवाही के लिए भेजे जाने की बात कही। किसानों ने शासन से फसल क्षति को देखते हुए शीघ्र मुआवजा देने की मांग की है कि मौके पर पटवारी, ग्राम रोजगार अधिकारी, ग्राम कोटवार एवं कृषक हीरालाल पिता रामलाल प्रजापत, मनोहरसिंह पिता माणकसिंह, लक्की पिता गोविंदराम पाटीदार, दिनेश पिता गोपाल प्रजापत, जगदीश पिता नारायण पाटीदार की उपस्थिति में संबंधित कृषक की फसल का अवलोकन किया। कर्मचारियों ने बताया कि वर्षा के कारण गेहूं की फसल आड़ी पडी हैं। पारदर्शी अवलोकन फसल कटाई प्रयोग के बाद किया जा सकेगा।

इनका कहना है

बीमा कम्पनी के ओमकार अजनार का कहनाहै कि, अब तक जिले के 3,68,917 ऋणि एवं 498 अऋणि किसानों की फसल बीमा एप्लिकेशन आई हैं। बे मौसम बारिश के दौरान 873 किसानों की शिकायते आई हैं, सर्वे चल रहा हैं।

महाशिवरात्रि पर पशुपतिनाथ मंदिर में बंटेगी फरियाली खिचड़ी

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले में श्री कृष्ण कामधेनु सामाजिक एवं धार्मिक लोक न्यास द्वारा प्रतिवषार्नुसार इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भव्य आयोजनों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। सोमवार को आयोजन की तैयारियों को लेकर न्यास के सदस्यों ने पशुपतिनाथ मंदिर परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया है।

संस्था ने बताया कि, आगामी 15 फरवरी, रविवार को भूतभावन भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में विशेष आयोजन होंगे। प्रातः 11 बजे भगवान की राजभोग आरती और दर्शन के पश्चात, न्यास द्वारा भगवान पशुपतिनाथ को फरियाली खिचड़ी का नैवेद्य अर्पित किया जाएगां। इसके तुरंत बाद मंदिर परिसर में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं और शिवभक्तों के लिए प्रसाद वितरण का शुभारंभ होगा। इस वर्ष आयोजन को और अधिक भव्य और प्रकाशमय बनाने के लिए न्यास द्वारा विशेष पहल की जा रही है। संध्या 7 बजे से मंदिर क्षेत्र के आकाश में स्काय लालटेन उड़ाए जाएंगे। सैकड़ों की संख्या में हवा में तैरते ये दीपक पूरे मंदिर क्षेत्र को अलौकिक आभा प्रदान करेंगे, जो भक्तों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। न्यास का उद्देश्य धर्म और सेवा के माध्यम से भक्तों को जोड़ना है। खिचड़ी वितरण के साथ-साथ इस बार आकाश दीपों का यह दृश्य अत्यंत मनमोहक होगा। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर स्थित आराधना हॉल में होंगी लोक गायन-भक्ति गायन एवं नृत्य नाटिका की प्रस्तुति संस्कृति विभाग, म.प्र. शासन द्वारा मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर परिसर स्थित आराधना हॉल में शिव-सत्य की कला अभिव्यक्तियों पर एकाग्र महादेव महोत्सवका आयोजन 15 फरवरी, 2026 को सायं 6.30 बजे से किया जाएगा। समारोह में लोक गायन, शिव केंद्रित नृत्य नाटिका एवं भक्ति गायन की प्रस्तुतियाँ संयोजित की जाएंगी। यह आयोजन जिला प्रशासन, मंदसौर के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव में पहली प्रस्तुति इंदौर के मुकेश चौहान एवं साथी कलाकारों के लोक गायन की होगी। इसके पश्चात देवास के प्रफुल्ल सिंह गहलोत एवं साथी कलाकार शिव केंद्रित नृत्य नाटिका पेश करेंगे। अंतिम सभा में भोपाल के अखिलेश तिवारी एवं साथी कलाकार भगवान शिव पर केंद्रित भक्ति गायन की प्रस्तुति देंगे।

बजरंग दल पदाधिकारी से विवाद

आगर-मालवा।

मध्य प्रदेश के आगर-मालवा जिले के बड़ौद कस्बे में बजरंग दल के प्रखंड संयोजक शंकर सिंह राजपूत से कुछ मुस्लिम युवकों का मामूली बात पर विवाद हो गया। इसके बाद मुस्लिम युवकों ने कुछ दुकानों में तोड़फोड़ कर दी। इससे नाराज लोगों ने बाजार बंद कर थाना घेर लिया। तनाव बढ़ता देख आसपास के थानों की फोर्स भी बुलाई गई। पुलिस ने इस मामले में सात लोगों के विरुद्ध नामजद अभियोग दर्ज कर पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार युवकों का जुलूस भी निकाला है।

बड़ौद थाना पुलिस ने इस मामले में अरबाज खान, फरीद खान, अजहर खान, ताहिर खान, सलाम खान, राजा खां, फिरोज खान के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। एएसपी रविंद्र कुमार बोयट ने बताया कि दो आरोपित राजा खां और फिरोज को छोड़कर पांच आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। क्षेत्र में पूरी तरह शांति है, पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

नगर के चुड़ी बाजार में बजरंगदल पदाधिकारी की दुकान पर मामूली विवाद ने बड़ा रुप ले लिया। यहां वर्ग विशेष के लोगों ने दुकान में तोड़फोड़ कर दी। जिससे गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया और विवाद, तोड़फोड़ करने वाले आरोपितों की गिरफ्तारी और घर तोड़ने की मांग को लेकर बाजार बंद करा दिये।

धार्मिक स्थल और वाहनों पर पथराव

विवाद की सूचना पर आसपास के थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति पर नियंत्रण किया। सोमवार को शाम तक पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला गया। जुलूस निकलने के बाद कुछ लोगों ने मुल्तानी मौहल्ले में धार्मिक स्थल और वाहनों पर पथराव किया। यहां भी पुलिस ने मोर्चा संभाला और पथराव कर रहे लोगों को खदेड़ा। फिलहाल नगर में पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है।

मामले में पुलिस ने बजरंग दल पदाधिकारी की शिकायत पर सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दूसरे पक्ष ने भी लिखित शिकायत की है जिसकी जांच पुलिस कर रही है। गिरफ्तार किये गए आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

बाजारों को फिर खुलवाया गया

स्थिति नियंत्रण में होने के बाद एसडीएम मिलिंद ढोके, एसडीओपी मोतीलाल कुशवाह, तहसीलदार भंवरसिंह चौहान के नेतृत्व में नगर के प्रमुख मार्ग हाटपुरा बाजार से गांधी चौक तक पुलिस ने फ्लैगमार्च किया। इसके बाद बाजार में दुकाने खुली। हालांकि विवाद के

दौरान जमकर अफरा-तफरी मची और दहशत का माहौल रहा। अभी भी नगर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और लगातार गश्त की जा रही है।

पहले मारपीट फिर तोड़फोड़

पुलिस को की गई शिकायत के अनुसार शंकर सिंह राजपूत मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकला तभी एक दुकान पर अजहर, फरिद, सलाम, अरबाज, ताहिर, राजा और फिरोज ने शंकर के साथ गाली गलौज की इस पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। इसी दौरान विजय जायसवाल की दुकान पर आरोपियों ने लकड़ी, डंडों से तोड़फोड़ की गई। शिकायत में आरोपियों द्वारा लूटपाट किये जाने का भी उल्लेख है।

पांच आरोपी गिरफ्तार, दो की तलाश

एएसपी आगर मालवा रविंद्र कुमार बोयट ने बताया कि, मामले में तत्काल कार्रवाई की गई। पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। दो की तलाश की जा रही है। क्षेत्र में पूरी तरह शांति है, पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

3 करोड़ 93 लाख की लागत से निर्मित छात्रावास भवन तैयार, जल व्यवस्था के अभाव में संचालन अटका

माही की गूंज, बड़वानी।

जिले के पाटी क्षेत्र में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 50 सीट क्षमता वाला बालक उत्कृष्ट छात्रावास का नवीन भवन बनकर तैयार हो गया है। लगभग 3 करोड़ 93 लाख रुपये की लागत से निर्मित इस भवन को पूर्ण रूप से तैयार कर संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है, लेकिन आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अब तक इसका संचालन प्रारंभ नहीं हो सका है।

जानकारी के अनुसार भवन का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया था। निर्माण पूर्ण होने के बाद भवन जनजातीय कार्य विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया, किंतु छात्रावास को नए भवन में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। परिणामस्वरूप करोड़ों रुपये की लागत से बना भवन वर्तमान में खाली पड़ा हुआ है।

संस्था प्रमुख मनीषा डावर ने बताया कि भवन में कुछ छोटे-मोटे कार्य अभी शेष हैं, हालांकि सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। परिसर में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नलकूप खनन कराया गया, लेकिन पर्याप्त पानी नहीं मिल पाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि 50 विद्यार्थियों के आवास, भोजन एवं दैनिक उपयोग के लिए नियमित जल आपूर्ति आवश्यक है। बिना जल व्यवस्था के छात्रावास का संचालन संभव नहीं है।

वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भवन का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण कर जनजातीय कार्य विभाग को सौंप दिया गया है। जल संकट को देखते हुए तीन स्थानों पर नलकूप खुदवाए गए थे, परंतु उनमें अपेक्षित जल उपलब्ध नहीं हुआ। इस संबंध में विस्तृत जानकारी पत्र के माध्यम से जनजातीय कार्य विभाग को भेजी जा चुकी है। अब रखरखाव एवं आगे की व्यवस्था की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की है।

वर्तमान में छात्रावास के 50 विद्यार्थी पुराने भवन में ही निवास कर रहे हैं। नया भवन लंबे समय से खाली होने के कारण उसकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता व्यक्त की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि शीघ्र संचालन प्रारंभ नहीं हुआ तो असामाजिक तत्वों द्वारा भवन को नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका बनी रहेगी, जिससे शासकीय संपत्ति को क्षति हो सकती है।

जनजातीय कार्य विभाग ने आश्वासन दिया है कि जल समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वैकल्पिक जल स्रोतों की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को शीघ्र ही नए भवन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण होते ही छात्रावास को नवीन भवन में स्थानांतरित कर नियमित संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा।

आवारा कुत्तों के हमले में पांच बकरियां मरी

माही की गूंज, खरगोन।

जिले के दोमवाड़ा गांव में आवारा कुत्तों के झुंड ने एक पशुबाड़े में घुसकर बकरियों पर हमला कर दिया। घटना में पांच बकरियों की मौत हो गई। इससे पशुपालक परिवार को लगभग एक लाख रुपये की आर्थिक हानि हुई है।

जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार को सेगांव पुलिस चौकी क्षेत्र में हुई। पीड़ित कदम सोलंकी ने बुधवार को इसकी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वह अपने परिवार के साथ खेत पर मजदूरी करने गए थे। इसी दौरान कुत्तों का झुंड पशुबाड़े में घुस आया और बंधी हुई बकरियों पर हमला कर दिया।

बकरी पालन परिवार की आजीविका का प्रमुख साधन है। इस घटना के बाद परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।

पीड़ित परिवार ने शासन से उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने मामले में आवश्यक कार्यवाही कर सहयोग का आश्वासन दिया है।

महापौर ने बजट को महिलाओं के सम्मान का बताया

माही की गूंज, खरगोन।

खरगोन में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा कपास मंडी में 'महिला संवाद कार्यक्रम' का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खंडवा महापौर अमृता यादव ने केंद्र सरकार के विकसित भारत बजट' पर मार्गदर्शन दिया।

महापौर अमृता यादव ने बजट को महिलाओं के सम्मान और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने लाडली बहना योजना, उज्ज्वला योजना और लखपति दीदी योजना को महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली योजनाएं बताया। उन्होंने उपस्थित महिलाओं से इन योजनाओं का लाभ स्वयं लेने के साथ-साथ अन्य महिलाओं तक भी पहुंचाने का आग्रह किया।

महिला संवाद कार्यक्रम में खरगोन और बड़वानी जिले से 800 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया।

जिलाध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने महिलाओं से उनके जीवन में परिवर्तन लाने हेतु संचालित योजनाओं पर भरोसा रखने का आह्वान किया।

खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बात को ध्यान में रखा है कि बजट का प्रभाव महिलाओं पर अधिक पड़ता है। इसी उद्देश्य से महिलाओं के बीच जाकर उन्हें बजट के लाभों की जानकारी देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

पुलिस लाइन के आवासों में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

माही की गूंज, खंडवा।

पुलिस लाइन स्थित शासकीय आवासों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर आरोपी को कोतवाली पुलिस ने धार से गिरफ्तार किया है। आरोपी दिपेश उर्फ दिपेंद्र (29) आदतन अपराधी है और अब तक 16 चोरी की घटनाओं में संलिप्त रहा है। पुलिस ने उसके कब्जे से लगभग 5 लाख रुपये मूल्य के सोना-चांदी के आभूषण एवं नकदी जब्त की है।

जानकारी के अनुसार 20 जनवरी को पुलिस लाइन के दो शासकीय आवासों में चोरी हुई थी। यातायात थाने में पदस्थ आरक्षक करणपाल सिंह (33) ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मैहर से लौटने पर उनके घर का ताला टूटा मिला तथा अलमारी का सामान बिखरा पड़ा था। अज्ञात चोर उनके घर से सोने की चेन, कान के झुमके, चांदी की पायल और 90 हजार रुपये नकद ले गए थे। पास ही रहने वाले सुरेश खरते के आवास से भी एक मंगलसूत्र, दो अंगूठियां, सोने के झुमके, पायल तथा 6 हजार रुपये नकद चोरी हुए थे।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। निगरानी यंत्र के चित्रों और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे धार से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि वह अपने दो साथियों के साथ मिलकर पुलिस लाइन के शासकीय आवासों को निशाना बनाता था।

गिरफ्तार आरोपी से चोरी का माल बरामद कर लिया गया है। घटना में शामिल उसके दो साथी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों के पास भी चोरी का कुछ सामान हो सकता है।

रेलवे पटरी किनारे मिला गाय का शव, जांच में हादसे की आशंका

माही की गूंज, खंडवा। स्मार्ट सिटी क्षेत्र में बुधवार दोपहर रेलवे पटरी के किनारे एक गाय का शव मिलने से क्षेत्र में हलचल मच गई। प्रारंभ में कुछ लोगों ने गाय को मारकर जलाने की आशंका जताई। घटना सिद्ध विहार कॉलोनी के पास रेलवे के निर्माणाधीन अंडरब्रिज के समीप की है। गाय के शव के मध्य भाग में गहरा और लंबा घाव दिखाई दे रहा था तथा शरीर पर काले निशान थे। इसे देखकर आगजनी की आशंका व्यक्त की गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। पुलिस के अनुसार शव लगभग 8 से 10 दिन पुराना है और सड़न की प्रक्रिया के कारण काला पड़ गया है। आगजनी जैसे प्रतीत हो रहे निशान वास्तव में सूखे रक्त के धब्बे हैं। पुलिस ने बताया कि मृत गाय के ऊपर एक साड़ी भी पाई गई। संभावना जताई जा रही है कि किसी दुर्घटना या स्वाभाविक मृत्यु के बाद परंपरा अनुसार अंतिम क्रिया के उद्देश्य से शव को रेलवे पटरी के पास छोड़ा गया हो। मौके पर पहुंचे कुछ संगठनों के कार्यकर्ताओं से पुलिस ने चर्चा कर स्थिति स्पष्ट की।

सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण को लेकर व्यापारियों का विरोध

माही की गूंज, बड़वानी।

जिला मुख्यालय स्थित पुराने कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रस्तावित सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण को लेकर मंगलवार को विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। सड़क निर्माण को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि निक्कू चौहान और स्थानीय व्यापारियों के बीच तीखी बहस हुई।

नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि निक्कू चौहान ने मौके पर पहुंचकर बताया कि उक्त सड़क का निर्माण मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योजना की स्वीकृति उच्च स्तर से होती है तथा निर्माण का स्वरूप पूर्व निर्धारित रहता है, जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है। सड़क निर्माण पर लगभग 23 लाख रुपये की लागत आएगी।

उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य चरणबद्ध रूप से किया जाएगा। एक ओर की खुदाई कर निर्माण कार्य किया जाएगा, जबकि दूसरी ओर आवागमन जारी रखा जाएगा। व्यापारियों से चर्चा के बाद उन्होंने ढाई माह में कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया।

वहीं स्थानीय व्यापारी महेश यादव ने सीमेंट कंक्रीट सड़क के स्थान पर डामर सड़क बनाए जाने की मांग की। उनका कहना था कि सीमेंट कंक्रीट सड़क के निर्माण में अधिक समय लगेगा, जिससे व्यापार प्रभावित होगा। व्यापारियों ने आशंका जताई कि कार्य छह माह से पहले पूरा नहीं होगा, जबकि नगर पालिका ढाई माह में पूर्ण करने का दावा कर रही है।

व्यापारियों का कहना है कि लंबे समय तक निर्माण कार्य चलने से उनके व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नगर पालिका प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाएगा तथा आवागमन व्यवस्थित रखा जाएगा। समझाइश के बाद स्थिति सामान्य हो गई।

किशोरों की यौन स्वायत्तता से जुड़े यक्ष प्रश्न

किशोर यौन शोषण संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो एक्ट) के दुरुपयोग को लेकर चिन्ता व्यक्त करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार से यह विचार करने को कहा है कि क्यों न 'रोमियो-जूलियट' उपबन्ध जोड़कर किशोरों के बीच पारस्परिक सहमति से बने यौन व्यवहार को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया जाए। इस परामर्श का उद्देश्य किशोरों को अपराधीकरण से बचाने के साथ उनकी यौन स्वायत्तता को व्यावहारिकता के नजरिए से देखना भी है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के प्रकाशन 'क्राइम इन इण्डिया-2023' के अनुसार पूरे देश में 'पोक्सो एक्ट' के अन्तर्गत कुल 7,305 मामले दर्ज हुए थे, इनमें से 4,321 मामले बलात्कार, 2,619 गलत यौन-स्पर्श और 264 मामले अन्य प्रकार के यौन-उत्पीड़न से सम्बन्धित थे। इन मामलों में 18 वर्ष से कम आयु के 2,478 नाबालिगों की संलिप्तता भी पाई गई थी जिन्हें हिरासत में लिया गया था।

18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के बीच शारीरिक सम्बन्ध 'पोक्सो एक्ट' के प्रावधानों के अनुसार पूर्णतया प्रतिबन्धित है और घोषित संगीन अपराध है। अतः नाबालिगों के बीच सहमति से बने शारीरिक सम्बन्धों के मामलों में कानून लागू करने वाली एजेंसियां अक्सर इस दुविधा में पड़ जाती है कि कानून को 'जैसा है वैसा ही' लागू किया जाए या 'जैसा होना चाहिए' वैसा लागू किया जाए। विदित हो कि कानून की व्याख्या करने और उसे 'जैसा होना चाहिए' वैसा लागू करने के आदेश देना केवल संवैधानिक न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र है। पुलिस और निचली अदालतें कानून को जस का तस लागू करने के लिए ही अधिकृत हैं, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को इस विषय पर ऐसा उपाय करने का सुझाव दिया है, जिससे सहमति से यौन सम्बन्ध बनाने वाले अवयस्कों को कानून का संरक्षण प्राप्त करने के लिए बार-बार उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की शरण में न आना-जाना पड़े। इस उपाय को सर्वोच्च न्यायालय ने 'रोमियो-जूलियट' उपबन्ध की संज्ञा दी है।

'रोमियो-जूलियट' उपबन्ध अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रथाओं में पहले से ही मौजूद है, जहां अवयस्कों के बीच बने सम्बन्धों और निकटता की बारीकियों को मानव विकास प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा माना जाता है। इन कानूनों को इस प्रकार बनाया गया है कि आपराधिक यौन-विचलन और सहमति पर आधारित गैर-शोषणकारी किशोर शारीरिक सम्बन्धों के बीच कानून लागू करने वाली संस्थाएं अपने स्तर पर ही विभेद कर सके ताकि किशारों के अनावश्यक अपराधीकरण को रोका जा सके।

संयुक्त राज्य अमेरिका के कम से कम 43 राज्यों ने यौन गतिविधियों में संलिप्त किशोरों को अपराधी बनाए जाने से बचाने के लिए 'क्लोज-इन-एज' छूट (आयु-समीपता अपवाद) सिद्धांत को अपनाया है। इस अपवाद में एक आयु वर्ग के किशारों को अपने से नजदीक के आयु वाले अवयस्क के साथ सहमति से किया गया यौन व्यवहार को अपराध नहीं माना जाता है। कनाडा में 14 और 15 वर्ष के अवयस्क अपने से पांच वर्ष के आयु-अन्तर वाले साथी के साथ सहमति से सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। फिलीपींस के कानून में 16 वर्ष की आयु वाले किशोरों को तीन वर्ष के आयु-अन्तर वाले साथी के साथ शारीरिक निकटता की अनुमति है। जॉर्जिया में नाबालिगों द्वारा परस्पर सहमति से तीन वर्ष तक के आयु-अन्तर वाले साथी के साथ यौन व्यवहार को बलात्कार नहीं दुर्व्यवहार माना जाता है। भारत में यौन सहमति की आयु 18 वर्ष है, यहां तक कि असहमति से बनाए गए सम्बन्ध को लेकर नाबालिग पत्नी अपने पति पर भी दुराचार का मुकदमा दायर कर सकती है। 'पोक्सो एक्ट' एक लिंग-निरपेक्ष कानून है और इस कानून में अवयस्कों द्वारा यौन व्यवहार के लिए दी गई पारस्परिक तथ्यात्मक सहमति की मान्यता नहीं है। तदानुसार, नाबालिगों द्वारा यौन गतिविधियों में संलिप्तता स्वतः ही अपराध बन जाती है।

सहमति से सम्बन्ध स्थापित करने वाले किशोरों की सूचना पुलिस तक पहुंचाने में 'पोक्सो एक्ट' की धारा 19(1) का प्रमुख योगदान है, जिसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिनमें चिकित्सा पेशेवर भी शामिल हैं, यदि किसी नाबालिग के यौन गतिविधि में शामिल होने की जानकारी प्राप्त कर लेता है, तो उसे इसकी सूचना पुलिस को देना कानूनी रूप से अनिवार्य हो जाती है। ऐसी रिपोर्ट न करने वालों को 6 माह तक के कारावास का दण्ड दिया जा सकता है। परिणामस्वरूप, नाबालिग विवाहित गर्भवती महिलाएं और यौन गतिविधियों में शामिल अविवाहित किशोर अपनी चिकित्सीय समस्याओं के निदान के लिए योग्य डाक्टरों के पास जाने से कतराते हैं। झोलाछाप डाक्टरों की शरण में जाने को मजबूर होते हैं। कभी-कभी अति चिन्ताग्रस्त माता-पिता, सामाजिक दबाव के चलते अथवा व्यक्तिगत प्रतिशोध के वशीभूत, अपने बच्चों के सहमति-आधारित सम्बन्धों को बलात्कार या छेड़छाड़ के रूप दिखा पुलिस को सूचना दे देते हैं, ताकि पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत उनके अवयस्क यौन साथी को दण्डित कराया जा सके। वर्ष 2023 में 'पोक्सो एक्ट' के अन्तर्गत 2,478 मामले नाबालिगों के विरुद्ध दर्ज हुए थे। इनमें से कुछ परस्पर सहमति से जिज्ञासावश बनाए गए सम्बन्ध भी शामिल हैं।

किशोरावस्था जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसमें किशोरों के शरीर में प्राकृतिक, रचनात्मक और हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, जो कालान्तर में मनुष्योचित भावनाओं के प्रारम्भ और परिपक्वता का कारण बनते हैं। इस उम्र में परस्पर आकर्षण, अनुराग और प्रेम जैसे कोमल भाव तथा अपने विपरीत लिंग की यौनता एवं शारीरिकता को जानने की तीव्र इच्छा किशोरों के व्यवहार में दृष्टिगोचर होना एक सामान्य लक्षण है। उचित मार्गदर्शन और जानकारी के अभाव में प्रायः किशोर भटक जाते हैं। आयु-सम्बन्धी शारीरिक, जैविक और भावनात्मक असंतुलन उन्हें यौन-विचलन की दलदल में धकेल देता है, क्योंकि नाबालिग प्राकृतिक परिवर्तनों और यौन व्यवहार के परिणामों को समझने के लिए पूर्णतया सक्षम नहीं होते हैं।

पोक्सो एक्ट' का मूल उद्देश्य वयस्कों द्वारा बच्चों के यौन शोषण को रोकना और उनकी रक्षा करना है। यह उचित प्रतीत नहीं होता कि किशोरों के बीच कौतूहलवश तथा सहमति से बने यौन सम्पर्क को भी इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में रखा जाए। दूसरी ओर, वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों के दृष्टिगत किशोरों के सभी सहमति-आधारित सम्बन्धों को पूरी तरह अपराधमुक्त करना भी कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि भारतीय समाज इसके लिए तैयार दिखाई नहीं देता है। इसीलिए, मौजूदा कानूनों में ही कुछ संशोधन करके उचित रास्ता निकालने की जरूरत है।

के.पी.सिंह

'एक्स' बनाम प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं अन्य, प्रकरण में 29 सितम्बर, 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि पोक्सो अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत पुलिस को दी जाने वाली सूचना में चिकित्सा पेशेवरों को नाबालिग की पहचान और अन्य व्यक्तिगत विवरण प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। यह व्याख्या पंजीकृत चिकित्सा पेशेवरों के एतद्-सम्बन्धी वैधानिक दायित्व और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नाबालिगों के निजता के अधिकारों के बीच टकराव को रोकती है। इस फैसले को नज़ीर मानकर अवयस्कों द्वारा सहमति से बनाए गए यौन-सम्बन्धों को अपराध नहीं दुर्व्यवहार की श्रेणी में रखा जा सकता है। उन्हें उचित मार्गदर्शन देने की व्यवस्था की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, 16 से 18 वर्ष आयु-समूह के वे किशोर, जो सहमति से यौनाचार के मामलों में संलिप्त हो जाते हैं, को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की मौजूदा व्यवस्था के अनुसार वयस्कों की तरह मुकदमा चलाकर दण्डित करने के प्रावधानों की भी समीक्षा करने की जरूरत है। इसके बजाय, ऐसे किशोरों को सामुदायिक सेवा और निगरानी में सदाचार की परिवीक्षा (प्रोबेशन) जैसे गैर-हिरासती सुधारात्मक उपायों के दायरे में लेकर उन्हें मार्गदर्शन देने के प्रयास होने चाहिए।

प्राचार्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पैदल ही निकली छात्राएं कलेक्टर से मिलने

मार्ग में कलेक्टर ने मिलकर समस्याएं सुनी आश्वासन के बाद लौटी छात्राएं

माही की गूंज, आम्बुआ।
जगराम विश्वकर्मा

आलीराजपुर जिले के आम्बुआ पंचायत क्षेत्र के समधनी फलिया में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिनांक 11 फरवरी को कलेक्टर से मिलने के लिए पैदल मार्च कर दिया। सूचना मिलने पर कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर उनसे मिलने निकल पड़ी तथा आम्बुआ से लगभग 8/9 कि मी दूर मार्ग में छात्राओं से मुलाकात की तथा जानकारी प्राप्त कर अतिशीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया । चार सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर जांच शुरू करने के निर्देश के बाद छात्राओं को वाहन व्यवस्था कर छात्रावास भेजा गया।

मिली जानकारी अनुसार आम्बुआ क़स्बे से बाहर समधनी फलिया में विगत वर्ष नवीन भवन में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रारंभ किया गया था। विगत माह यहां की कुछ शिकायतें कलेक्टर को मिली थी जिसकी जांच की जाकर शासन को रिपोर्ट भेजी गई है इसी दौरान अचानक दिनांक 11 फरवरी बुधवार को यहां की लगभग 300 छात्राऐं प्राचार्य हटाओ के नारे लगाते हुए पैदल ही कलेक्टर से मिलने आलीराजपुर की ओर रवाना हो गई। जैसे ही खबर फैली प्रशासन हरकत में आया तथा कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने राजस्व निरीक्षक तपीश पाण्डेय को भेजा उन्होंने मार्ग में छात्राओं से चर्चा कर उन्हें वापस छात्रावास जाने को कहा, मगर वे कलेक्टर से मिलने पर अड़ी रही तथा पैदल ही आलीराजपुर के लिए रवाना हो गई। पुनः सूचना मिलने पर कलेक्टर स्वयं वहां पहुंची तथा छात्राओं से चर्चा की तो उन्होंने ने प्राचार्य पर अनेक गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उन्हें जाति सूचक शब्दों से बुलाया जाता है। भोजन की गुणवत्ता, स्टेशनरी, गर्म कपड़े नहीं देने आदि अनेक आरोप लगाए गए हैं। कलेक्टर ने शिकायतों की जांच हेतु चार सदस्यीय टीम का गठन किया जो कि जांच कर रही है। अन्य कार्यवाही के आश्वासन के बाद छात्राएं मानी जिसके बाद उन्हें वाहन व्यवस्था कर छात्रावास भेजा गया है।

घटनाक्रम की सूचना मिलने पर क्षैत्रिय विधायक श्रीमती सेना महेश पटेल विद्यालय परिसर पहुंची तथा बच्चियों से मुलाकात की तथा जल्दी सारी व्यवस्थाएं को सुधार कराने का आश्वासन दिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। समाचार लिखे जाने तक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के मार्ग दर्शन में जांच कार्य जारी था।

चूंकि प्राचार्य श्रीमती अर्चला श्रीवास्तव विगत दिनों से अवकाश पर हैं। इस कारण उनसे मुलाकात नहीं होने के कारण उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो सका है अवकाश से लौटने के बाद प्रयास किया जा सकता है।

मुझे जैसे ही सूचना मिली मैंने तत्काल एसडीएम को भेजा तथा कुछ समय बाद मैं भी पहुंची हूं। बच्चियों की बात सुनी है। जांच करा रहीं हूं जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्रीमती नीतू माथुर, कलेक्टर आलीराजपुर

हमारे विधानसभा क्षेत्र में स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की छात्राओं द्वारा पैदल मार्च कर आलीराजपुर की ओर आने की खबर पर मैं आम्बुआ आई तब तक बच्चियां विद्यालय परिसर में पहुंच चुकी थी मैंने चर्चा कर समस्याएं सुलझाने का आश्वासन दिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं,।

श्रीमती सेना महेश पटेल विधायक जोबट

मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कलेक्टर ने किया निरीक्षण

माही की गूंज, चं.शे. आजाद नगर।

नगर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर कलेक्टर नीतू माथुर ने हेलिपैड, आजाद कुटिया एवं सभा स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध और सुचारु रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर माथुर सर्वप्रथम चन्द्रशेखर आजाद नगर पहुंचीं, जहां उन्होंने हेलिपैड का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात एवं अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इसके पश्चात उन्होंने शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के जन्म स्थल आजाद कुटिया पहुंच कर उनकी प्रतिमा को नमन किया और परिसर में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित आगमन कार्यक्रम को लेकर आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने हेलिपैड से आजाद कुटिया तथा सभा स्थल तक के पहुंच मार्ग का भी जायजा लिया और अधिकारियों को साफ-सफाई, सुरक्षा, पेयजल, विद्युत एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर माथुर ने बताया कि, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का चन्द्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर आलीराजपुर जिले के दौरे का प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को आपसी समन्वय के साथ तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का चन्द्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर आलीराजपुर जिले के दौरे का प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को आपसी समन्वय के साथ तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान अनु विभागीय अधिकारी निधि मिश्रा तहसीलदार जितेंद्र तोमर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बच्चों की वल्नरेबिलिटी मैपिंग पर जिलास्तरीय कार्यशाला किया आयोजन

माही की गूंज, आलीराजपुर।

जिले में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जोखिमग्रस्त क्षेत्रों में निवासरत बच्चों की वल्नरेबिलिटी मैपिंग को लेकर बुधवार को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में जिलास्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का शुभारंभ जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग सुश्री मोनिका बघेल ने किया। उन्होंने कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जोखिमग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों का प्राथमिकता के आधार पर चिन्हांकन किया जाएगा तथा उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए सहयोगी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से जरूरतमंद बच्चों तक समय पर सहायता और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा। कार्यशाला में तकनीकी संस्था के मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रतिभागियों को विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि वल्नरेबिलिटी मैपिंग का कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार की गई है। कार्यशाला में सहायक संचालक सुश्री अंजली चौधरी ने सभी से मिशन वात्सल्य के उद्देश्यों की प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समन्वित प्रयास करने का संकल्प लेकर कार्यशाला का समापन किया। कार्यशाला में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता,आईसीपीएस स्टाफ तथा सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

विलक्षण प्रतिभा आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है- वीतरागानंद सरस्वती

माही की गूंज, उज्जैन।

विलक्षण प्रतिभा आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। सृष्टि की सृजनात्मकता ,सनातन धर्म के सिद्धांत,वैदिक ज्ञान और हिंदू रीति रिवाजों की जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए।

यह बात उपनिषद् आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी वितरागानंद सरस्वती ने कही। वे कालिदास संस्कृत अकादेमी परिसर स्थित पं.सूर्यनारायण व्यास संकुल में आयोजित पुस्तक विमोचन एवं सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से सेवानिवृत्त हुए इंजीनियर शिवेंद्र शर्मा की सेवानिवृत्ति एवं उनकी पुस्तक इंजी.शिवेंद्र शर्मा-सृजन एवं सेवा का अद्भुत संगम का विमोचन हुआ।

कार्यक्रम की अध्यक्षता सिंहस्थ विकास प्राधीकरण के पूर्व अध्यक्ष दिवाकर नातू ने की। उन्होने मानव जीवन को तिरंगे में ढालने पर ज़ोर दिया। ये तीन रंग है-स्वस्थ रहिये,मस्त रहिये और व्यस्त रहिये। मुख्य अतिथि शैलेन्द्र पाराशर ने कहाकि शर्मा की रचनाएं लेखन कौशल तक सीमित नहीं है, बल्की चिंतन, संवेदना और जीवन दृष्टि के माध्यम से अभिव्यक्त होकर समाज का दिग्दर्शन भी कराता है। सारस्वत अतिथि हरिमोहन बुधोलिया ने कहाकि समाज, प्रकृति, मनुष्य और जीवन के स्पंदन को अनुभव कर पाने की अन्तर्निहित क्षमता शर्मा की रचनाओ में अभिव्यक्त हुई है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पत्रकार डॉ.ओमप्रकाश प्रजापति ने कहा कि पुस्तक की रचनाओ में केवल कल्पना नहीं बल्कि सामाजिक सरोकारों की स्पष्ट झलक मिलती है। जल संरक्षण, शिक्षा, सांस्कृतिक विरासत और मानवीय मूल्यों पर इनके विचार पाठको को सोचने पर विवश करते है। साहित्यकार शिव चौरसिया ने कहा कि शासकीय सेवा में, वो भी इंजीनियर पद पर रहते हुए साहित्यिक अवदान सभी के लिए प्रेरणा स्त्रोत है। पाखुरी वक्त ने शर्मा के लेखन को नैतिक मूल्यों का संरक्षण और सकारात्मक दिशा का मार्ग प्रशस्त करना बताया।

कार्यक्रम का शुभारंभ सीमा जोशी द्वारा सरस्वती वन्दना के गायन के साथ हुआ। संचालन डॉ. प्रतिभा शर्मा ने किया। इस अवसर पर हरिहर शर्मा,संजय मिश्रा, राजेश शारडा उपस्थित थे।

1133 करोड़ रुपए की जल आवर्धन परियोजना भूमिपूजन

माही की गूंज, उज्जैन।

जिले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1133 करोड़ रुपए की जल आवर्धन परियोजना का भूमिपूजन किया।धार्मिक नगरी उज्जैन में वर्ष 2028 में सिंहस्थ होने जा रहा है। इस आयोजन में हिस्सा लेने वाले श्रद्धालुओं के साथ नगरवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए सरकार की ओर से तमाम योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1133 करोड़ रुपए की हरियाखेड़ी जल आवर्धन परियोजना का भूमिपूजन किया।

उज्जैन में आगामी समय में होने वाले सिंहस्थ के लिए विकास कार्य किए जा रहे हैं। निर्माण कार्यों की रफ्तार तेज है। वहीं सड़कों को दुरुस्त किए जाने के साथ कई मार्गों का निर्माण हो रहा है और महाकाल मंदिर के आसपास से लेकर अन्य स्थानों पर हुए अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है।

सीएम मोहन यादव ने बुधवार को उज्जैन नगर निगम की 1133.67 करोड़ की लागत वाली 'हरियाखेड़ी जल आवर्धन परियोजना' का भूमिपूजन किया। इस परियोजना के अंतर्गत 600 से 3000 किलोलीटर क्षमता के 17 नए ओवरहेड टैंक निर्मित किए जाएंगे।

बताया गया है कि इस परियोजना के तहत 708 किमी लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसमें लगभग 534 किलोमीटर का नया वितरण नेटवर्क विकसित किया जाएगा। परियोजना के पूरा होने पर बड़ी आबादी को समय पर और पर्याप्त जल मिल सकेगा।

दरअसल, यहां होने वाले सिंहस्थ को ध्यान में रखकर एक तरफ जहां नागरिक सुविधाओं को विस्तारित किया जा रहा है, वहीं क्षिप्रा नदी के घाटों को भी दुरुस्त और सुविधायुक्त बनाया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि लाखों की तादाद में श्रद्धालु क्षिप्रा नदी के तटों पर स्नान करेंगे।

फीज में हुआ धमाका, 4 मकानों में लगी आग

माही की गूंज, उज्जैन।

शहर के क्षीरसागर स्थित योगेश्वर टेकरी में सोमवार दोपहर शॉर्ट सर्किट के बाद फीज में धमाका हो गया। जिसके चलते 4 कच्चे मकान आग की चपेट में आ गए। आग के कारण कुछ ही देर में घर में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।

योगेश्वर टेकरी निवासी मदनलाल के कच्चे मकान में अचानक शॉर्ट सर्किट के बाद फीज में धमाका हो गया। जिसके कारण घर में आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में पड़ोसी ओम ललावत, रमेश द्रोणावत सहित एक अन्य के मकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। कुछ ही देर में मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई। लेकिन भीषण आग की लपटों ने चारों घरों में रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। आधे घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया।

विधायक का जन्मदिन बना भगोरिया पर्व

माही की गूंज, अलीराजपुर।

जिले की जोबट विधायक सेना महेश पटेल का जन्मदिन इस वर्ष पूरे जिले में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जनउत्सव के रूप में मनाया गया। बुधवार को पटेल पब्लिक स्कूल ग्राउंड पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में जिलेभर के हजारों समर्थक पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए और 100 से अधिक ढोल-मांदल की गूंज ने पूरे वातावरण को भगोरिया महापर्व के रंग में रंग दिया।

सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा और लोग देर शाम तक नाचते-गाते रहे। आलीराजपुर, जोबट और आसपास के ग्रामीण, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बने। ढोल-मांदल की थाप पर पारंपरिक नृत्य और उत्साह देखने लायक था, हर चेहरे पर खुशी और उमंग साफ झलक रही थी।

उत्सव के दौरान कई समर्थक और कार्यकर्ता आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल और युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष पुष्पराज पटेल को कंधे पर बैठाकर पारंपरिक नृत्य कराते नजर आए, जिससे कार्यक्रम में और भी जीवंतता और उल्लास देखने को मिला। ग्रामीणों ने कहा, विधायक के जन्मदिन के साथ ही अलीराजपुर जिले में लोक संस्कृति के महापर्व भगोरिया की शुरुआत हो गई है, जो आगामी 25 दिनों तक पूरे जिले में उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा।

इस अवसर पर विधायक सेना महेश पटेल ने कहा, आज जन्मदिन के अवसर पर जिस आत्मीयता, प्रेम और पारंपरिक उत्साह के साथ क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया है, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। यह सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे जोबट और अलीराजपुर जिले की आदिवासी संस्कृति और आपसी एकजुटता का सम्मान है। हम क्षेत्र की सुख-समृद्धि, विकास और जनसेवा के लिए सदैव समर्पित रहेंगे।

आदिवासी विकास परिषद, प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने कहा, इस अवसर पर जब मैं क्षेत्रवासियों की हृदय से मिली आशीर्वाद और उत्साह को देखता हूँ, तो मन गर्व और खुशी से भर जाता है। यह जन्मोत्सव हमारी आदिवासी संस्कृति, एकजुटता और पारंपरिक उत्सवों का प्रतीक है। हम हमेशा क्षेत्र की सेवा और विकास के लिए समर्पित रहेंगे। विधायक ने सभी का प्यार, सम्मान और आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद किया और कहा, इस आशीर्वाद का मैं हमेशा कर्जदार रहूँगा।

महाविद्यालय में लर्नर लाइसेंस शिविर का आयोजन

माही की गूंज, जोबट। कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर के निर्देशन तथा आरटीओ श्रीमती कृतिका मोहटा के मार्गदर्शन में कल संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय जोबट परिसर में लर्नर लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया। संकल्प से समाधान अभियान का मुख्य उद्देश्य पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करना है। संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत शिविर में संस्था में अध्ययनरत छात्रदृछात्राओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत कुल 85 विद्यार्थियों के लर्नर लाइसेंस सफलतापूर्वक बनाए गए। परिवहन विभाग की टीम द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन पूर्ण कराए गए। इस अवसर पर संस्था का स्टाफ एवं परिवहन विभाग का अमला उपस्थित रहा।

माहेश्वरी पुनः बने भाजपा मंडल अध्यक्ष

माही की गूंज, आम्बुआ।

अभी हाल ही में प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मंडल अध्यक्षों की जारी सूची में आम्बुआ के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष भरत माहेश्वरी पर एक बार पुनः विश्वास दिखाते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देशानुसार उन्हें पुनः आम्बुआ मंडल अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। उन्हें यह जबाब दारी पार्टी के प्रति समर्पण एवं सक्रीयता के मद्देनजर दी गई है, इस नियुक्ति पर साथी कार्य कर्ताओं में हर्ष व्याप्त है।

तंत्र के तांत्रिकों को कुछ भी पता नहीं... क्या हो रहा है जिले में... मामला सामने आने के बाद ढकेल देते लंबी जांच प्रक्रिया में...

छात्रावास में धर्मांतरण के आरोप, प्रशासन व शिक्षा विभाग अनभिज्ञ, पालकों और हिन्दुवादी संगठनों ने की शिकायत

माही की गूंज, झाबुआ।
मुजम्मिल मंसुरी

मंगलवार को एक सनसनीखेज मामला उस समय सामने आया जब रामा ब्लॉक के ग्राम रोटला स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आश्रम की कुछ बालिकाएं और उनके परिजन एक गंभीर शिकायत लेकर झाबुआ कलेक्टर से मिलने पहुंचे। छात्रावास की बालिकाओं व उनके परिजनों के साथ ही अभाविप व हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता भी यहां पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याएं बताई।

दरअसल मामला कुछ यूं हुआ कि, रामा ब्लॉक के ग्राम रोटला स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास से कुछ वीडियो और फोटो सामने आए, इनमें छात्राएं बाइबिल पढ़ती और यीशु मसीह की प्रार्थना करती नजर आ रही है। इसके अलावा भी इसी से संबंधित अन्य फोटो भी सामने आए है। इस तरह के वीडियो और फोटो वायरल होने के बाद अभाविप और हिंदुवादी संगठनों ने छात्रावास अधीक्षिका पर छात्राओं का धर्मांतरण करवाने का आरोप लगाया है। इसी मामले को लेकर अभाविप और हिन्दुवादी संगठन, छात्राओं व परिजनों को साथ लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रोरेट पहुंचे और इस मामले में अधीक्षिका को बर्खास्त करने व एफआईआर दर्ज करने की मांग की।

धर्मांतरण को लेकर यह अपने, आपमें पहला मामला है जब किसी छात्रावास में धर्मांतरण जैसी गतिविधियों के संचालन के आरोप लगे है। इन आरोपी की पुष्टी भी छात्राओं व परिजनों ने की है। इससे पहले शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में इस तरह का कोई मामला अब तक देखने को नहीं मिला है। इससे पहले धर्मांतरण के मामले कहीं किसी गांव में या प्रार्थना घरों में ही देखने को मिलते रहे है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि, अब शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में भी इस तरह की गतिविधियों का संचालन हो रहा है। हालांकि अभी इसे सिर्फ आरोप ही माना जाए। क्योंकि मामला संज्ञान में आते ही प्रशासन ने इसमें गंभीरता दिखाते हुए जांच दल गठित कर दिया है और छात्रावास अधीक्षिका को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए बीईओ ऑफिस में अटैच कर दिया गया है। छात्रावास का प्रभार सहायक अधीक्षिका को सौंप दिया गया है। यह एक अलग विषय है कि, इस गंभीर मामले में जांच कितने समय में पूर्ण होगी और कौन इसमें दोषी पाया जाएगा।

मगर एक बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा होता कि, आखिर इस तरह की गंभीर घटनाओं की सूचना प्रशासन को क्यों नहीं होती...? जबकि उसी के तंत्र पर इस तरह के आरोप लगते हुए सामने आते है। यह एक गंभीर मामला है जो छात्रावास की बालिकाओं, उनके परिजनों और छात्र व हिन्दुसंगठनों की शिकायत के बाद उजागर होता नजर आ रहा है। तो फिर प्रशासन का तंत्र व तांत्रिक क्या कर रहे है..? प्रशासन या शिक्षा विभाग को इस गंभीर मामले की जानकारी क्यों नहीं लगी...? जबकि धर्मांतरण जैसी घटना पर छात्रावास की छात्राएं, परिजनो, छात्र संगठन व हिन्दुवादी संगठन इस धर्मांतरण प्रक्रिया को लंबे समय से छात्रावास में संचालित होने का आरोप लगा रहे है।

आखिर ऐसा क्यों होता है कि, जब भी जिले में इस तरह के मामले सामने आते है वह संघ, संगठन या पीड़ितों के जरिये ही उजागर होते है। आखिर ऐसा क्यों है कि, प्रशासनिक तंत्र व उसमें बैठे तांत्रिक इस तरह की घटनाओं तक शिकायत होने के बाद ही पहुंच पाते है। जिले में कहीं भी धर्मांतरण का मामला हो या गौ-हत्या जैसा संगीन जुर्म, इसे हमेशा संघ, संगठन या पीड़ित के जरिये ही क्यों उजागर होता है। जबकि इन सभी तरह की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए लोकतंत्र में एक कानून व्यवस्था है और इस कानून व्यवस्था को बनाए रखना जिला प्रशासन के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है। तो फिर प्रशासन हो या पुलिस किसी को कुछ पता क्यों नहीं चल पाता...? जबकि आम नागरिक, पीड़ित या संघ, संगठन इस तरह के मामलों में जिम्मेदारों से पहले कैसे पहुंच जाते है...? बाद में पुलिस और प्रशासन शिकायत पर पहुंचता और अपने कर्तव्य की इतिश्री में लग जाता है। आखिर ऐसा क्यों नहीं देखने को मिलता की प्रशासन और पुलिस खुद ऐसे गंभीर मामलों में पहले पहल करते हुए मामले को उजागर करे...?

कन्या छात्रावास में पढ़ाई जा रही बाइबिल और इसी तरह के धार्मिक वीडियो सामने आने के बाद छात्रावास में पढ़ रही बालिकाओं के परिजनों के माथे पर गंभीर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही है...? हांलाकि नियम और कानून तो यह बताते है कि, किसी भी शैक्षणिक संस्था में किसी तरह की धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है। बावजूद इसके जिले के छात्रावास में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ धर्मांतरण करवाने के गंभीर आरोप लगे है। रामा ब्लॉक के रोटला में हुए इस मामले के बाद जिले भर के छात्रावासों की स्थिति शंका के घेरे में पहुंच गई है। यह एक मामला उजागर होने के बाद जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग ने इस तरफ ध्यान दिया है और जिले के किसी अन्य छात्रावास में इस तरह की गतिविधि न हो इसके लिए आवश्यक निर्देश दे दिए गए है। मगर सवाल अब भी बरकरार है कि, आखिर तंत्र में बैठे तांत्रिकों को इस बात की खबर पहले क्यों नहीं हुई...? जबकि रोटला में संचालित छात्रावास शासकीय है और शिक्षा विभाग के अधीन ही है। तो फिर धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर किसी भी अधिकारी को भनक तक क्यों नहीं लगी...?

यह सारी स्थितियां यह दर्शाती है कि, जिले का प्रशासनिक तंत्र व उसमें बैठे तांत्रिक जिले में घटने वाली किसी भी घटना को गंभीरता से ना लेते हुए कुंभकरण की तरह व्यवहार करते दिखाई दे रहे है। मामले उजागर होने के बाद यही तांत्रित अपना डंडा लेकर निकलते है और गंभीर मामलों में भी जांच दल गठित कर अपनी कर्तव्य की इतिश्री कर लेते है।

पिछले अंक में माही की गूंज ने राणापुर ब्लॉक के पाडलवा मॉडल स्कूल की घटना पर भी कई सवाल इसी तरह के खड़े किए थे। क्योंकि वह सारी स्थिति जो माही की गूंज प्रकाशित करता है वह आखिर कर सच तक पहुंचती दिखाई देती है। हमने पिछले अंकों में यह लिखा था कि, अब जिले की आम जनता को सरकारी अधिकारियों पर किसी तरह का कोई भरोसा नही है, और वे सीधे तौर पर अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर से मिलना चाहते है। पाडलवा मॉडल स्कूल के बाद अब रोटला छात्रावास का मामला यह दर्शाता है कि, नीचले स्तर पर कहीं भी कोई सुनवाई आमजन की नहीं है। स्थितियां सीधे तौर पर यह दर्शा रही है कि, अधिनस्त अधिकारी अपने उच्चाधिकारियों को किस तरह से ठेंगा दिखाते नजर आते है। अगर ऐसा नही होता तो फिर आमजन को कलेक्टर तक पहुंचने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती। अब जबकि मामला कलेक्टर के संज्ञान में आ चुका है तो कलेक्टर के निर्देश पर ही जांच दल गठित कर दिया गया है। देखना यह है कि, इस मामले में जांच कब तक और कैसे पूरी होती है, कौन दोषी पाया जाता है और शिक्षा विभाग इस गंभीर मामले को लेकर क्या कदम उठाता है। भविष्य में इस तरह की घटना ना हो इसको लेकर किस तरह के प्रबंधन किए जाएंगे, यह सब अब भी भविष्य के गर्त में है।

बस मालिक की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने पिया कीटनाशक

गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती, वीडियो जारी कर लगाए गंभीर आरोप

माही की गूंज, पेटलावद।

बुधवार को विवाद के एक पुराने मामले में नया मोड आ गया जब पेटलावद से समीप ग्राम बाछीखेड़ा के राजेश पिता नंदलाल मालवीय ने प्रताड़ना से तंग आकर कीटनाशक पी लिया। गंभीर हालत में परिजन सिविल अस्पताल पेटलावद लेकर आए हैं जहां उसका उपचार जारी है। कीटनाशक पीने से पहले राजेश मालवीय ने सुसाइड नोट और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके बताया कि, पंचोली बस का मालिक आशुतोष पंचोली लगातार उसे प्रताड़ित कर रहा है, जिसके कारण वह जीवन से तंग आकर मौत को गले लगा रहा है। वायरल वीडियो में बताया गया कि, पंचोली बस के मालिक आशुतोष पंचोली के कहने पर आज से करीब 6 माह पूर्व दो बस चालकों के बीच विवाद करवाया गया था, इसके बाद राजेश मालवीय और अन्य साथियों के खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज हुआ था और जेल भी हुई थी। पेटलावद पुलिस ने केवल राजेश मालवीय और अन्य साथियों के विरुद्ध मामला दर्ज करके इतिश्री कर ली थी। विवाद के बाद बस मालिक के विरुद्ध कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया था। गंभीर हालत में परिजन राजेश मालवीय को सिविल अस्पताल पेटलावद लेकर पहुंचे जहां गंभीर अवस्था में उसका इलाज जारी है साथ ही पुलिस सब उसके होश में आने के बाद ही आगे की कार्रवाई करेगी।

पूर्व थाना प्रभारी पर भी लगे थे आरोप

दो बसों के संचालन को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिस पर गंभीर आरोप लगे थे। तत्कालीन थाना प्रभारी दिनेश शर्मा की भूमिका को लेकर भी राजेश मालवीय ने कई गंभीर आरोप पूर्व में लगाए थे और पुलिस अधीक्षक झाबुआ को लिखित शिकायत देते हुए विवाद के समय पुलिस ने उससे लगभग 50 हजार रूपए वसूल किए थे और दो-दो बार उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मामले में राजेश मालवीय और अन्य साथियों को जेल भी हुई थी। उस समय राजेश मालवीय ने कई बार पुलिस में इसकी शिकायत की थी कि, केवल उसे फसाया जा रहा है और मामले में अहम किरदार निभाने वालों को पैसो के दम पर बचाया जा रहा है।

बस मालिक के विरुद्ध मामला दर्ज करने की मांग

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में राजेश मालवीय कहते हुए दिख रहा है कि, उसे बस मालिक ने जबरन फसाया है और पुलिस ने केवल इस पर मामला दर्ज किया और मेरे मरने के बाद पुलिस आशुतोष पंचोली के विरुद्ध भी मामला दर्ज करें ताकि उसके साथ न्याय हो सके। राजेश का आरोप है कि, पंचोली बस के मालिक ने न केवल उसे नौकरी से निकाला बल्कि दूसरी बसों पर नौकरी तक नहीं करने दी जिससे वो बेरोज़गार होकर घर बैठने पर मजबूर हो गया।

पुलिस का सायरन और कार का फोड़ा शीशा, तीन जगह टूटे ताले

माही की गूंज, झाबुआ/भगोर।

पुलिस वाहन के सायरन की आवाज में फोडा कार का शीशा।

चोरों को पुलिस का किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं है। तथा चोर पुलिस से कितने बेखोफ है यह मंगलवार-बुधवार की रात्रि में भगोर में देखने को मिला।

स्थानीय लोगों अनुसार मंगलवार-बुधवार रात्रि में ग्राम पंचायत के सामने स्थानीय व्यापारी भूपेंद्र भानपुरिया की कार खड़ी थी। वहीं पुलिस गस्ती में करीब साढ़े 12 बजे पुलिस अपने वाहन सायरन के साथ बजाते हुए भगोर आई और पंचायत परिसर में ही सायरन बजते हुए ही वाहन को थोड़ी देर खड़ा किया। यहां चोर, पुलिस से ज्यादा सतर्क व अपने अनुभवों से चालाक ईतने दिखाई दिए कि, सायरन बजते हुए पुलिस वाहन का लाभ उठाया और भूपेंद्र भानपुरिया की खड़ी कार में पत्थर मारकर शीशा (कांच) फोड़ दिया। पुलिस वाहन के सायरन बजने के चलते कार का फूटे शीशे की आवाज न पुलिस को सुनाई और न ही किसी आस-पास में। इसमें हम यहां कह सकते हैं कि, चोट्टो व अपराधियों में पुलिस का अब क्षणिक भर भी भय नहीं बचा है और पुलिस से ज्यादा चोर सजग, सक्रिय व चालक दिखाई दे रहे हैं।

बताया जा रहा है कि, भानपुरिया का पुत्र राहुल रतलाम से देर रात्रि में ही सामान खरीदी कर आया था और कार में सामान भरा हुआ पड़ा था। चोरों ने शायद उसी सामान को चोरी करने हेतु पुलिस वाहन के बजते सायरन का लाभ उठाकर कार पर पत्थर मारकर शीशा फोड़ा गया। वहीं व्यापारी परिवार उस दौरान जग रहा था तथा पुलिस वाहन जाने के बाद पंचायत भवन के ऊपर से किसी की कूदने की आवाज जोर से आई। और सर्तकता रखते हुए परिवार छत पर पहुंचा और चोट्टो को कार से सामान चोरी करने का प्रयास करते देखने पर चोर-चोर कहकर वार की। जिससे चोट्टे बिना चोरी किये भाग निकले और भगोरवासी वार पर इकट्ठे हो गए। वही पुलिस को रात्रि में ही घटना की जानकारी दी।

वहीं दुसरी और चोर पुलिस को चिढ़ाते हुए यही नहीं रुके गांव में बताया जा रहा है कि, अजय मालीवाड़ की घूमटी, उदयसिंग नायक व मनीष नलवाया की दुकान की शटर के ताले तोड़े गए। कहीं न कहीं गांव वालों की सर्तकता के चलते चोर कहीं भी चोरी करने में सफल नहीं हुए लेकिन पुलिस को अपनी काबिलियत बताकर उसे चिढ़ाने का प्रयास जरूर किया है।

अधिकारी चाहते ही नहीं की समस्या का स्थाई समाधान हो...

माही की गूंज, खवासा।
हरिश भटेवरा

एक कहानी थी कि, एक मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती थी लेकिन एक लालची इंसान ने सभी अंडों को एक साथ पाने की चाहत में मुर्गी को ही मार डाला। कहानी लालच से बचने की सलाह देती है। लेकिन वर्तमान समय में इस कहानी का उपयोग दूसरे भावार्थ के लिए किया जा रहा है। मोहन सरकार में अफसर शाही इतना हावी हो चुकी है कि, मंत्री तक सार्वजनिक रूप से कहने लग गए हैं कि, बिना लिए-दिए कुछ कार्य होता ही नहीं है। कलेक्टर जैसे सम्मानित पद पर भी सार्वजनिक रूप से रिश्वत लेने के आरोप लग रहे हैं। अधिकारी वर्ग के लिए किसी भी समस्या का स्थाई हल यानी सोने के अंडे आना बंद। इसलिए अधिकारी वर्ग किसी भी समस्या को हल होने ही नहीं देना चाहते हैं। जिसका ताजा उदाहरण है, खवासा की नल जल योजना।

लगभग 40 से 45 वर्ष पुरानी पेयजल व्यवस्था में इतने प्रयोग और इतना खर्च होने के बाद भी खवासावासी स्थाई पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। यहां गर्मियों में लगभग 12 से 15 दिन में एक बार पेयजल वितरण होता है और इस समस्या के समाधान के लिए यहां की महिलाओं ने प्रभावी आंदोलन भी किया था। जिसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए थे सभी की एक स्वर में मांग थी कि, नर्मदा की पाइपलाईन जो खवासा से महज 4-5 किलोमीटर दूरी पर निकल रही है उसका एक आउटलेट खवासा के तालाब में दे दिया जाए। जिससे यहां की पेयजल समस्या का स्थाई समाधान हो जाता। लेकिन अधिकारियों ने मौके पर आश्वासन देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली और बाद में पत्र आ गया कि, इस पाइपलाईन से खवासा के लिए आउटलेट दिया जाना संभव नहीं है। जिसके बाद वर्तमान में खवासा ग्राम में नई पाइपलाईन डाले जाने की योजना बनाई गई और काम भी चालू हो गया। लेकिन मजेदार बात यह है कि, इस योजना के बारे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कोई भनक तक नहीं है।

ग्राम पंचायत सचिव से इस संबंध में चर्चा की गई तो, वे भी इस कार्य से अनभिज्ञ नजर आए। ठेकेदार कौन है...? निर्माण एजेंसी कौन है ये किसी को पता नहीं है। लेकिन पूरे गांव में सीमेंटी करण रोड दोनों साइडों से खोद दिया गया और कनेक्शन देने के नाम पर पाइप बाहर निकालकर छोड़े जा रहे हैं। जिसके बाद पूरे गांव में असंतोष का माहौल है। क्योंकि कुछ पाइप लंबे छोड़े जा रहे हैं तो, कुछ छोटे। कितने वाल्व रहेंगे और पेयजल का वितरण कैसे होगा इस बारे में कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। यहां के जनप्रतिनिधियों की निष्क्रिता भी ग्राम में चर्चा का केंद्र बन चुकी है।

आम लोगों का कहना है कि, ठेकेदार अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है और उसके बाद भी नल-जल योजना में कोई सुधार नहीं हुआ तो, इसका जिम्मेदार कौन होगा...? पाइपलाईन डल जाने के बाद आने वाले 20-25 वर्षों तक इस हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं हो पाएगी। ऐसे में नागरिकों का कहना है कि, इस योजना का कार्य ठीक ढंग से और जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर पूर्ण किया जाना चाहिए। लेकिन लगता तो यही है कि, खवासा की नल-जल योजना जो अधिकारियों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है उसको स्थाई रूप से खत्म करना कोई नहीं चाहता है। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ढोलखरा से खवासा पानी लाने की 50 लाख रुपए की योजना विफल हो चुकी है और सरकारी पैसों का दुरूपयोग हुआ है। लेकिन जांच के नाम पर केवल लीपा-पोती करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली गई। ठीक वैसा ही हाल इस योजना का भी हो सकता है इसकी आशंका ग्रामवासी अभी से जता रहे हैं। अगर वास्तव में अधिकारी इस समस्या के प्रति गंभीर होते तो योजना का क्रियान्वयन ठीक ढंग से किया जाता और इसकी पुरी रूप रेखा पहले से पुरे ग्रामवासियो को पता होती। लेकिन अव्यवस्थित कार्य के कारण ग्रामवासियों को प्रतिदिन पेयजल मिल पाएगा या नहीं यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन पूरे गांव में सीमेंट की सड़कों को दोनों साइडों से खोद अवश्य दिया गया है। और अब मरमत के नाम पर एक बार आवंटन की मांग की जाएगी यानी सोने का अंडा मिलता रहे यही अधिकारियों की मंशा है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422